



वार्षिक लेखा 2016-17

प्रथक सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट
एवं प्रबंधन



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गाँव के सामने, नई दिल्ली-110012

दूरभाष : 011-25848127, 011-25842846, फैक्स : 011-25840478

ईमेल : rg-ppvfra@nic.in

www.plantauthority.gov.in



वार्षिक लेखा 2016-17

प्रथक सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट
एवं प्रबंधन



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गाँव के सामने,

नई दिल्ली-110012

www.plantauthority.gov.in

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	तुलन –पत्र	1
2.	आय और व्यय का लेखा	2
3.	प्राप्तियों और अदायगियों का लेखा	3-4
4.	तुलन –पत्र की अनुसूचियां	5-13
5.	आय और व्यय का लेखे की अनुसूचियां	14-19
6.	पूर्व अवधि समायोजन (अनुबंध–क)	20
7.	विद्यमान डीयूएस केन्द्रों से प्राप्य राशि के ब्यौरे का विवरण (अनुबंध–ख)	21-27
8.	विद्यमान डीयूएस केन्द्रों को देय राशि के ब्यौरे का विवरण (अनुबंध–ग)	28
9.	नए डीयूएस केन्द्रों से प्राप्य राशि के ब्यौरे का विवरण (अनुबंध–घ)	29-30
10.	नए डीयूएस केन्द्रों को देय राशि का विवरण (अनुबंध–ङ)	31
11.	संदर्भ प्रयोगशालाओं से प्राप्य राशि का विवरण (अनुबंध–च)	32
12.	जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक से प्राप्य राशि का विवरण (अनुबंध–छ)	33
13.	जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक को अदा की जाने वाली राशि का विवरण (अनुबंध–ज)	34
14.	प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशगी (अनुबंध–झ)	35-43
15.	बाहरी व्यक्तियों को पेशगी (अनुबंध–ट)	44
16.	स्टाफ को पेशगी (अनुबंध–ठ)	45
17.	अदा की गई वैधानिक देयताएं (अनुबंध–ड / I)	46
18.	अन्य देयताएं (अनुबंध–ड / II)	47
19.	प्रशिक्षण केन्द्रों से पेशगी की वापसी (अनुबंध–ढ)	48
20.	स्टाफ से पेशगी की वापसी (अनुबंध–ण)	49
21.	संदर्भ किस्मों के रखरखाव की पेशगी की वापसी (अनुबंध–ओ)	50
22.	पीपीवी और एफआरए की उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियां (अनुसूची–24)	51-56
23.	आकस्मिक देयताएं तथा लेखों की टिप्पणियां (अनुसूची–25)	57-65
24.	कैग की पृथक लेखा रिपोर्ट	66-72

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र

राशि (रुपये में)

कॉर्पस/पूंजी निधि तथा देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कॉर्पस/पूंजी निधि		402,074,246	285,360,795
आरक्षित राशि और अतिरिक्त राशि	1	-	-
निर्धारित/स्थायी निधि	2	-	-
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	3	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	4	-	-
आगे खिसकाई गई ऋण देयताएं	5	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	6	-	-
योग	7	123,527,750	152,845,257
		525,601,996	438,206,052
परिसम्पत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियां	8(A)	30,025,715	29,977,679
घटाएं : संचयित मूल्यह्रास		24,983,197	24,139,774
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां		5,042,518	5,837,905
पूंजीगत कार्य में प्रगतियां	8(B)	17,838,219	17,838,219
निवेश - निर्धारित/ स्थायी निधियों से	9	-	-
निवेश - अन्य से	10	-	-
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, पेशगियां आदि	11	502,721,259	414,529,928
फुटकर व्यय		-	-
(जो बटटे खाते में न जाली गई हों या समायोजित न की गई हो)			
योग		525,601,996	438,206,052
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	24		
आकास्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	25		

जस प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2102
आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष


पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि (रुपये में)

आय	अनुसूची	प्राधिकरण निधि		जीन निधि	
		2016-17	2015-16	2016-17	2015-2016
बिक्री/सेवाओं से हुई आय	12	-	-	-	-
अनुदान/सहायता	13	197,451,964	158,115,040	57,167,000	18,500,000
शुल्क/चंदा	14	19,532,600	29,849,800	4,722,123	7,665,296
निवेशों से हुई आय	15	-	-	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	16	-	-	-	-
अर्जित ब्याज	17	22,411,926	14,288,012	985	2,311,840
अन्य आय	18	656,856	601,581	2,805,487	-
वैचार माल के स्टॉक में वृद्धि (गिरावट) और चालू कार्य	19	-	-	-	-
आस्थागत आय (अचल सम्पत्तियों पर मूल्यांकन)		843,422	1,213,294	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध क)		-	5,543,859	-	1,304,000
कुल (क)		240,896,768	209,611,586	64,695,595	29,781,136
व्यय					
स्थापना व्यय	20	91,228,598	49,152,403	-	-
अन्य प्रशासनिक आय आदि	21	20,047,710	45,415,679	15,636,572	-
अनुदान/चंदों आदि पर हुआ व्यय	22	58,308,868	49,460,328	-	-
ब्याज	23	17,783	10,985	633	630
मूल्यांकन (अनुसूची 8 से सम्बद्ध वर्ष के अंत में निवल योग)		843,422	1,213,294	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध-क)		1,999,941	-	-	-
योग (ख)		172,446,322	145,252,689	15,637,205	630
व्यय की तुलना में आय घटाकर शेष राशि (क-ख)		68,450,446	64,358,897	49,058,390	29,780,506
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्रत्येक को अलग-अलग बताएं)		-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधि को/से हस्तांतरण		-	-	-	-
कॉर्पस/पूंजी निधि तक ले जाई गई शेष अतिरिक्त राशि (अंतर)		68,450,446	64,358,897	49,058,390	29,780,506
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25				


ज.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पोषा किरस और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष की प्राप्ति एवं अदायगीयां

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगीयां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	राशि (रुपये में)
1. आदिशेष						
क. मौजूद नकद राशि	22,815	44,593	1. खय			
ख. बैंक आदिशेष			क. स्थानमा खय	19,920,282	20,167,178	
			ख. प्रशासनिक खय	39,142,253	21,506,248	
			2. निधियों के रिजर्व अदायगीयां			
एसबीआई (मोड लेखा सहित)	52,271,445	64,978,652	क. विद्यमान डीयूस केन्द्र (अनुबंध ख व म)	47,131,161	39,179,207	
सिंडिकेट बैंक	32,976,805	7,453,097	ख. नए डीयूस केन्द्र (अनुबंध घ व ड)	11,225,966	21,516,314	
लेन-देन में वापसी	-	19,630	न. संदर्भ प्रयोगशालाएं (अनुबंध च)	-	-	
एस बी आई जिन निधि	52,161,780	24,157,718	घ. फील्ड जिन बैंक (अनुबंध छ व ज)	3,524,952	3,113,386	
रुवाहटी बैंक	32,443	19,910				
	26,083	3,024				
	127,740,142	-				
कम. स्वीप अतिशेष (कल)						
एसबीआई-587,53,190						
सिंडिकेट बैंक-272,93,143						
एस बी आई (जिन निधि)						
2. भात सरकार से प्राप्त अनुदान	197,500,000	158,544,000	3. अचल सम्पत्तियों पर खय तथा पूंजी कार्य में प्रगति			
			क. अचल सम्पत्ति की खरीद (प्राधिकरण)	48,036	428,960	
			ख. चालू पूंजी कार्य पर खय	-	-	
3. बैंक में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज						
जिन निधि	-	1,858,911				
प्राधिकरण निधि	14,633,296	6,853,854				
प्राधिकरण एफडी पर प्राप्त ब्याज	81,96,643					
सीपीएफ जमा राशि पर प्राप्त ब्याज	10,313					
एसबी(सिंडिकेट बैंक) पर प्राप्त ब्याज	5,79,100					
स्वीप पर प्राप्त ब्याज (एसबीआई)	38,53,395					
स्वीप पर प्राप्त ब्याज (सिंडिकेट)	19,93,845					
6. पूंजी खाता (प्राधिकरण निधि)						
	-	210,000	4. प्राधिकरण केन्द्रों को पेशगी (अनुबंध झ)	17,712,267	27,998,875	
7. प्राधिकरण केन्द्रों से प्राप्त पेशगीयां (अनुबंध-न)	313,411	444,293	5. बाहरी षकों को पेशगी (अनुबंध टासंजनों/संस्थानों को व	1,101,075	978,591	
8. डीयूस दिशा-निर्देशों के विकास के लिए पेशगीयां की वापसी (नए डीयूस						
केन्द्र)						
प्राप्त पेशगीयां की प्राप्ति: अनुबंध-न	163,141	304,783	6. फंडिंग मशीन को पुनः भना	100,000	250,000	
प्राप्त डीयूस पर प्राप्त ब्याज	608,939	219,197	7. जिन बैंक के लिए योगदान	57,167,000	18,500,000	
9. स्टॉक से पेशगीयां की प्राप्ति: अनुबंध-न			9. स्टॉक को पेशगी (अनुबंध ठ)	1,307,562	1,017,900	
प्राप्त डीयूस पर प्राप्त ब्याज	351,181	-				
10. फील्ड जिन निधि से पेशगीयां की वापसी						
	148,050	-	10. वित्त प्रणार	17,945	11,729	
11. रेफरेंस किरसों की देखरेख के लिये पेशगीयां की वापसी (अनुबंध-जो)						
	1,000,000	-				
12. रेफरेंस प्रयोगशाला से पेशगीयां की वापसी						
	285,600	-				
13. डीयूस टैस्ट व पंजीकरण फीस के लिए पेशगी						
14. शुल्क / अंशदान / अन्य आय						
प्राप्त आवेदन / पंजीकरण शुल्क	10,141,600	15,304,600	11. बैंक द्वारा टीडीएस की कटौती	199,483	-	
पीवीजे अभिदान शुल्क	107,500	141,600				
आपत्ति के नोटिस के लिए शुल्क	10,000	-	12. मियारी जमा	356,000	-	
वार्षिक शुल्क-जिन निधि	4,722,123	8,792,574				
वार्षिक शुल्क-प्राधिकरण	-	8,000	13. आवर्ती सवधि जमा राशि	297,000	-	
प्राप्त डीयूस परेशण शुल्क	8,278,500	12,430,000	12. सवधि जमा	-	-	
वार्षिक नवीकरण शुल्क	722,000	1,821,000	12. डिमांड ड्राफ्ट का रिजर्वल	-	131,650,000	
निरीक्षण शुल्क / फीस	273,000	5,000	जिन निधि	-	863,279	
वार्षिक रिटर्न कॉम	2,805,487	-	प्राधिकरण निधि	-	70,410	
अन्य आय	600	155,961				
प्रकारणों की विक्री 600			13. अदा की गई वैधानिक देयताएं (अनुबंध इ(क))	5,356,830	4,210,718	
पुराने समाचार-पत्रों, रद्दी की विक्री	29,486	2,908				
आरटीआई (310+60)	370	-	14. अन्य नते (अनुबंध इ(ख))	37,560	218,520	
टीडीएस कटौती का रिजर्वल	81,077	52,242				
बैंक द्वारा दिया गया अतिरिक्त क्रेडिट	-	224,608	क. उच्चत (मौजूद नकद राशि)	25,819	25,000	
प्राधिकरण निधि से योगदान	57,167,000	18,500,000	प्राधिकरण	52	52	
पूर्व अमंथि लेखा	-	20,996	रॉकी शाखा	767	767	
			रुवाहटी शाखा			

11. स्वीप का नकदीकरण-एसबीआई	155,849,395	0				
12. स्वीप का नकदीकरण-एसबीआई-जीन	9,970,473	0				
13. स्वीप का नकदीकरण-सिंडिकेट	363,775	0				
ख. बैंक अधिशेष (एसओडी सहित)						
भारतीय स्टेट बैंक					25,340,939	52,271,445
सिंडिकेट बैंक					40,484,983	32,976,805
एसबीआई (जीन निधि)	63,754,768	106,421,975			65,009,845	52,161,780
इलाहाबाद बैंक	70,408,303				32,443	32,433
इलाहाबाद बैंक	658,000	144,000			26,086	26,086
12. सीपीएफ सावधि जमा राशि					207,403,000	-
13. पुराने बैंकों की राशि की वापसी	-	38,557			21,970,000	-
					45,159,000	-
योग	610,098,297	429,175,683			610,098,297	429,175,683

जय प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2102

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


दी-राजेन्द्र


बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि रुपये में

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष
	2016-17	2015-16	
अनुसूची 1 – कोष(कारपस)/पूंजी निधि			
क) प्राधिकरण निधि			
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	216,187,100		152,612,538
जोड़ें : प्राधिकरण निधि के लिए योगदान	48,036		428,960
घटाएं : मूल्य ह्रास के लिए घटाव	(843,422)		(1,213,294)
जोड़ें (घटाएं) : आय तथा व्यय लेखे से हस्तांतरित निवल आय (व्यय) की शेष राशि	68,450,446		64,358,897
		283,842,160	216,187,100
ख) जीन निधि			
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	69,173,695.00		39,393,189
जोड़ें : कोष (कारपस)/पूंजी निधि के लिए योगदान	-		
जोड़ें (घटाएं) : निवल आय की शेष राशि / (व्यय) आय और व्यय लेखे से हस्तांतरित	49,058,391.00		29,780,506
		118,232,086	69,173,695
वर्ष के अंत में शेष राशि		402,074,246	285,360,795
अनुसूची 2 – आरक्षित तथा अतिरिक्त राशियां			
1. पूंजीगत आरक्षित राशि			
पिछले लेखे के अनुसार	-		-
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	-		-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-		-
2. पुनर्मूल्यांकनगत आरक्षित राशि			
पिछले लेखे के अनुसार	-		-
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	-		-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-		-
3. विशेष आरक्षित राशि			
पिछले लेखे के अनुसार	-		-
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	-		-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-		-
4. सामान्य आरक्षित राशि			
पिछले लेखे के अनुसार	-		-
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	-		-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-		-
कुल			


जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीबी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


2/10/17

आर.पी.अग्रवाल
महा.पंजीकार
पीपीबी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012



बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीबी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि रुपये में

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
अनुसूची 3. निर्धारित/स्थायी निधियां				
क. निधियों का आदि शेष	-		-	
ख. प्राप्त की गई निधियां	-		-	
1. दान/अनुदान	-		-	
2. निधियों पर किए गए निवेश से आय	-		-	
3. अन्य अतिरिक्त राशि (प्रकृति बताएं)	-		-	
योग (क+ख)				
ग. उपयोग/निधियों के उद्देश्य पर व्यय				
1. पूंजी व्यय				
अचल सम्पत्तियां	-			
अन्य				
2. राजस्व व्यय				
वेतन, मजदूरी और भत्ते	-		-	
किराया				
अन्य प्रशासनिक व्यय				
योग (ग)	-		-	
समाप्त वर्ष पर निवल शेष राशि (क+ख-ग)	-		-	


जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष
अनुसूची 4. प्राप्त ऋण और उधारियां			
1. केन्द्र सरकार	-	-	-
2. राज्य सरकार (विशिष्ट)	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं क. आवधिक ऋण ख. प्राप्ति तथा बकाया ब्याज	-	-	-
4. बैंक क. आवधिक ऋण ख. अन्य ऋण (विशिष्ट)	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियां	-	-	-
6. डिबेंचर और बॉण्ड	-	-	-
7. अन्य	-	-	-
योग			

जय प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/3/22

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि, रुपये में

अनुसूची 5 : अप्राप्य ऋण और उधारियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (विशिष्ट)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक	-	-
क. आवधिक ऋण	-	-
ख. अन्य ऋण	-	-
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बॉण्ड	-	-
7. स्थायी जमा	-	-
8. अन्य	-	-
योग	-	-

अनुसूची 6. आस्थगित ऋण देयताएं	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. पूंजी उपकरण तथा अन्य सम्पत्तियां की जमानत द्वारा प्राप्त स्वीकृतियां	-	-
ख. अन्य	-	-
योग	-	-

जम प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/10/21
आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 7 - चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
क. चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियां				
2. छोटे ऋण				
क. माल के लिए	-		-	
ख. अन्य के लिए	-		-	
ग. स्टाफ के लिए	-		-	
बकाया वेतन	1,196,464		1,002,681	
बकाया मजदूरी	-		-	
बकाया व्यय	1,436,187		186,372	
बकाया सामान्य सेवा प्रभार	-		-	
यात्रा भत्ता के लिए देयता	154,492		1,000	
चिकित्सा व्यय के लिए देयता	-		-	
विद्यमान डीयूएस केन्द्र के लिए	655,146		925,930	
नए डीयूएस केन्द्रों के लिए देयता	215,996		719,206	
फील्ड जून बैंक के लिए देयता	147,661		147,661	
		3,805,946		2,982,850
3. प्राप्त पेशगियां				
वार्षिक शुल्क के लिए पेशगी	140,000		140,000	
वापसी योग्य वापसी शुल्क	96,000		96,000	
गलत तरीके से बैंक द्वारा जमा	-		224,613	
पंजीकरण शुल्क के लिए पेशगी/पंजीकरण शुल्क	285,600		-	
विभिन्न शुल्कों के लिए पेशगी	1,910,000		1,910,000	
पीवीजे के लिए शुल्कों के लिए पेशगी	53,600		53,600	
निविदा के लिए जमानत राशि	130,000	2,615,200	130,000	2,554,213
4. एकत्रित ब्याज जो बकाया नहीं था				
क. सुरक्षित ऋण/उधारियां	-		-	
ख. असुरक्षित ऋण/उधारियां	-		-	
5. वैधानिक देयताएं				
क. अतिदेय	-		-	
ख. अन्य				
टैक्स स्रोत पर कटौती	141,032		193,393	
नई पेंशन योजना	112,743		145,280	
लाइसेंस शुल्क	8,996		8,733	
सामान्य भविष्य निधि	50,000		52,000	
सामान्य भविष्य निधि ऋण 2	-		-	
सार्वजनिक भविष्य निधि	8,000		16,000	
व्यवसाय कर	-		208	
अन्य	-		-	
गृह निर्माण अग्रिम	-		-	
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजनाएँ	-		-	
सीजीईजीआईएस	2,065	322,836	2,285	417,899
6. अन्य चालू देयताएं				
जीन निधि के लिए देयता	-		16,806,196	
प्राधिकरण निधि के लिए देयता	722,000		-	
पौधा सुरक्षा भवन निर्माण के लिए पेशगी	50,000,000		50,000,000	
सीपीएफ निधि लेखा	802,000		336,000	
डीयूएस परीक्षण शुल्क के लिए देयता	31,612,000	83,136,000	31,612,000	98,754,196
योग (क)		89,879,982		104,709,158
प्रावधान				
1. कर के लिए	-		-	
2. उपाहर के लिए	3,147,561		2,100,158	
3. सेवानिवृत्ति पेंशन	-		-	
4. संचयी छुट्टी नकदीकरण	3,429,207		2,335,942	
5. व्यापार वारंटियां/दावे	-		-	
6. विभिन्न केन्द्रों को दिए गए अनुदानों के विरुद्ध व्यय	24,160,000		23,300,000	
7. प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के लिए व्यय	2,911,000	33,647,768.00	20,400,000	48,136,100
योग (ख)		33,647,768.00		48,136,100
महा योग (क + ख)		89,879,982.00		152,845,258

जय प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2182
आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और वृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-8 : अबल परिसम्पत्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक					मृत्युदास					राशि (लाख में)	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्राप्ति	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	जैसा कि वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान मृत्युदास	इम्पारमेंट क्षति	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में	
क. अबल सम्पत्तियां												
1 भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टेदारी पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ईमारत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. फ्रीहोल्ड जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टे की जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. सीमा क्षेत्र से इतर भूमि पर संरचनाएं	1,344,654	-	-	1,344,654	557,084	78,757	-	-	635,841	708,813	787,570	-
3 संबंध मशीनरी व उपकरण	3,161,207	-	-	3,161,207	1,788,910	205,845	-	-	1,994,755	1,166,452	1,372,297	-
4 वाहन	443,383	-	-	443,383	377,016	9,955	-	-	386,971	56,412	66,367	-
5 फर्नीचर, फिक्चर	3,752,957	-	-	3,752,957	1,497,271	225,569	-	-	1,722,840	2,030,117	2,225,686	-
6 कार्यालय उपकरण	1,678,407	-	-	1,689,657	674,621	100,941	-	-	775,562	914,095	1,003,786	-
7 कम्प्यूटर/सम्बद्ध उपकरण	16,268,266	36,786	-	16,305,052	15,952,789	200,322	-	-	16,153,111	151,941	315,477	-
8 पुस्तकालय में पुस्तकें	2,372,657	-	-	2,372,657	2,372,657	-	-	-	2,372,657	-	-	-
9 नलकूप तथा जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य अबल सम्पत्तियां/साफ्टवेयर/सीडी	956,148	-	-	956,148	919,427	22,033	-	-	941,460	14,688	36,721	-
चालू वर्ष का योग	29,977,679	48,036	-	30,025,715	24,139,775	843,422	-	-	24,983,197	5,042,518	5,837,904	-
पिछले वर्ष	29,548,719	443,247	14,287	29,977,679	22,926,480	1,213,294	-	-	24,139,774	5,837,905	6,622,239	-
चालू पूंजीगत कार्य												
योग												

जय प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/10/22
आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष


पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राधा, रूपय म

अनुसूची 9 निर्धारित/स्थायी निधि से निवेश	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयरों में	-	-
4. डिबेंचरों तथा बाण्डों में	-	-
5. उप स्थापनाओं व संयुक्त क्रियाकलापों में	-	-
6. अन्य में (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 10. निवेश - अन्य	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयरों में	-	-
4. डिबेंचरों तथा बाण्डों में	-	-
5. उप स्थापनाओं व संयुक्त क्रियाकलापों में	-	-
6. अन्य में (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	-	-


ज.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


आर.पी.अग्रवाल
सहायक
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि, रुपये में

अनुसूची 11 - चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा पेशगियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. चालू परिसम्पत्तियां		
1. वस्तु-सूची		
क. भंडार एवं पूर्ण	-	-
ख. फुटकर औजार	-	-
ग. मौजूद स्टॉक	-	-
तैयार माल	-	-
चालू कार्य	-	-
कच्चा माल	-	-
2. छोटे ऋण		
क. 6 माह की अवधि के बकाया ऋण	-	-
ख अन्य	-	-
3. मौजूद नकद शेष राशि (चैक, ड्रॉफ्ट, उच्चदं, टिकट)		
उच्चदं	25,819	22,815
मौजूदा नकद राशि	-	-
मौजूद टिकट	26,513	125,976
4. बैंक में शेष राशि		
क. अनुसूचित बैंकों में		
चालू खातों में	139,386,892	84,466,906
प्राधिकरण निधि (एसबीआई)	118,704,165	52,161,779
जीन निधि (एसबीआई)	-	-
जमा खातों में		
जीन निधि	-	-
प्राधिकरण निधि (ब्याज सहित)	-	134,163,071
बचत खातों में		
सिंडिकेट बैंक (प्राधिकरण)	113,443,983	5,683,663
एसबीआई, गुवाहाटी	32,433	32,433
एसबीआई, रांची	26,086	26,086
बैंक - ट्रांजिट में	-	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में		
चालू खातों में	-	-
जमा खातों में	-	-
बचत खातों में	371,593,558	276,533,938
योग (क)	371,645,890	276,682,728

जय प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह
क्षेत्रीय सलाहकार
पौधी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिषद, नई दिल्ली-110012


2/182
आर.पी.अग्रवाल
महा प्रजोकार
पौधी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिषद, नई दिल्ली-110012


आर.पी.अग्रवाल
बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पौधी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिषद, नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि: रुपये में

अनुसूची 11. चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, पेशगियां आदि	चालू वर्ष		पिछले वर्ष
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	
ख. ऋण पेशगियां तथा अन्य परिसम्पत्तियां			
1. ऋण	66,000	74,124	74,194
क. स्टाफ को	-	-	-
ख. क्रियाकलापों/उद्देश्यों से संबंधित अन्य प्रविष्टियां	70	70	70
ग. अन्य, प्रधान डाकघर को पेशगी		66,070	
2. प्राप्त मूल्य के लिए नकद या अन्य किसी रूप में वसूली योग्य पेशगियां और अन्य राशियां			
क. पूंजी लेखे में	5,216,630	5,216,630	-
प्राधिकरण भवन के लिए निर्माण के लिए पेशगी राशि	34,386	38,633	
ख. पूर्व अदायगीयां	1,566,500	7,736,500	
पूर्व पेशगी व्यय	31,090,955	35,129,568	
डीयूएस परीक्षण शुल्क के विरुद्ध पेशगी	1,009,423	632,560	
प्राधिकरण के लिए पेशगी	17,975,576	27,837,242	
बाहरी पक्षों के लिए पेशगी	58,867,793	38,350,983	
नए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों के लिए पेशगी	2,063,013	1,211,763	
पुराने डीयूएस परीक्षण केन्द्रों के लिए पेशगी	1,261,611	2,261,611	
फील्ड जिन बैंक के लिए पेशगी			118,415,491
सर्वतम प्रयोगशालाओं के लिए पेशगी			
ग. अन्य			
सीपीएफ आवर्ती जमा	681,043	-	
पुनर्प्राप्ति योग्य आयकर	1,580,218	378,172	
प्रायः योग्य सीपीएफ	45,000	45,000	
बैंक द्वारा प्रायः	-	192,000	
बैंक द्वारा प्रायः	7,873	7,873	
जिन निधि से वसूल की गई राशि	722,000	-	
प्राधिकरण निधि से वसूल की गई राशि			17,429,242
3. संचित आय			
क. निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों के निवेश से	-	-	
ख. अन्य निवेश से	-	-	
ग ऋण तथा पेशगी से	-	-	
घ. अन्य			
1) एसबीआई में एमओडी खाते पर अर्जित ब्याज	6,959,005	-	
2) वसूली योग्य वार्षिक शुल्क	1,928,000	1,928,000	
3) एसबीआई गुवाहाटी पर अर्जित ब्याज	273	273	
योग (ख)	131,075,369	119,085,887	137,847,200
महा योग (क+ख)	502,721,259	414,529,928	414,529,928


ज.पी. सिंह
वित्तिय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


महा प्रबंधक
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि, रुपये में

अनुसूची 12 - बिक्री/सेवाओं से आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	1. बिक्री से आय	-
क. तैयार माल की बिक्री	-	-
ख. कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग. रद्दी की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-
क. मजदूरी तथा प्रसंस्करण प्रभार	-	-
ख. व्यवसायी/परामर्शदायी सेवाएं	-	-
ग. एजेंसी कमीशन और दलाली	-	-
घ. रखरखाव सेवाएं	-	-
ड. अन्य	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 13- अनुदान / अनुदान (प्राधिकरण निधि)	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	केन्द्र सरकार से	197,451,964
राज्य सरकार से	-	-
सरकारी एजेंसियों से	-	-
संस्थाओं/कल्याण निकायों से	-	-
अंतरराष्ट्रीय संगठनों से	-	-
अन्य	-	-
योग	197,451,964	158,115,040
अनुदान/अनुदान (जीन निधि)		
प्राधिकरण निधि से योगदान	57,167,000	15,500,000
योग	57,167,000	15,500,000

जय प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह

बिभीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2.132
आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि, रुपये में

अनुसूची 14 : शुल्क/अंशदान - प्राधिकरण निधि	चालू वर्ष		पिछले वर्ष
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	पिछले वर्ष
डीयूस परीक्षण शुल्क	8,278,500	12,410,000	12,410,000
प्रवेश शुल्क/आवेदन शुल्क	10,141,600	15,304,200	15,304,200
अंशदान/पीवीजे शुल्क	107,500	141,600	141,600
संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-	-
परामर्श शुल्क/डीयूस शुल्क	-	-	-
विरोध के नोटिस के लिए शुल्क	10,000	-	-
वार्षिक नवीकरण शुल्क	722,000	1,981,000	1,981,000
विस्तार स्वीकृति के लिए शुल्क	-	-	-
वार्षिक शुल्क	-	-	8,000
निरीक्षण शुल्क	273,000	5,000	5,000
योग	19,532,600	29,849,800	29,849,800
शुल्क/अंशदान - जीन निधि			
बीजों की बिक्री से हिस्सा	3,278,516	6,081,630	6,081,630
वार्षिक शुल्क	1,443,607	1,583,666	1,583,666
योग	4,722,123	7,665,296	7,665,296

अनुसूची 15 : निधियों से आय	निधिरहित निधि से निवेश		निवेश - अन्य	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. ब्याज	-	-	-	-
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बाण्ड/डिबेंचर	-	-	-	-
2. लामाश	-	-	-	-
क. शेयरों पर	-	-	-	-
ख. म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
निधिरहित/अस्थायी निधियों को हस्तांतरित	-	-	-	-

जम शंकराज सिंह
जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2102
आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

डी-210149
बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि, रुपये में

अनुसूची 16 : रायल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
रायल्टी से आय	-	-
प्रकाशनों से आय	-	-
अन्य	-	-
योग	-	-
अनुसूची 17 : अर्जित ब्याज (प्राधिकरण निधि)		
1. सावधि जमा पर		
अनुसूचित बैंकों से		
सावधि जमा (एसबीआई)	13,594,711	4,358,960
एमओडी खाता (एसबीआई)	-	967,426
सावधि जमा (इलाहाबाद बैंक)	5,341,413	408,303
सावधि जमा (बैंक ऑफ बड़ोदा)	-	-
सावधि जमा (बैंक ऑफ इंडिया)	-	6,022,589
सावधि जमा (देना)	-	-
सावधि जमा (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)	2,855,230	2,338,634
गैर-अनुसूचित बैंक से	-	-
संस्थानों से	-	-
अन्य	41,472	-
2. बचत खातों पर		
अनुसूचित बैंकों से (सिडिकेट बैंक)	579,100	191,056
अनुसूचित बैंकों से (एसबीआई)	-	1,044
डाकघर बचत खाते से	-	-
अन्य	-	-
3. ऋण पर		
कर्मचारियों/स्टाफ से	-	-
अन्य	-	-
4. लेनदारों तथा अन्य प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त ब्याज	-	-
5. एमओडी खाते पर ब्याज	-	-
योग	22,411,926	14,288,012
अर्जित ब्याज (जीन निधि)		
1. सावधि जमा पर		
अनुसूचित बैंकों से (एसबीआई)	-	786,032
बैंक ऑफ इंडिया से	-	-
एमओडी खाते पर अर्जित ब्याज	985,000	1,525,808
योग	985	2,311,840


पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां


राशि, रुपये में


अनुसूची 18: अन्य आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अचल सम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर निवल लाभ	-	-
अनुदान से अधिगृहीत सम्पत्तियां या मुफ्त प्राप्त सम्पत्तियां	-	-
प्राप्त किए गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-
विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
स्टाफ कार के उपयोग के लिए वसूली	6,720	6,720
पुराने समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं व अनुपयोगी सामान की बिक्री	21,936	2,908
वाहन बीमे के विरुद्ध दावा प्राप्ति	-	-
प्रकाशनों की बिक्री	-	-
दायिका की वापसी	-	7,195
अध्यक्ष की पेंशन की कटौती	492,100.00	465,500
विविध आय (अन्य)	132,500.00	115,657
कम्प्यूटर उपयोग के लिए वसूली	3,600.00	3,600
योग	656,856	601,580
अन्य आय - जीन निधि		
1. अन्य आय	2,805,487	-
योग	2,805,487	-

अनुसूची 19: तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी और चालू कार्य		
अंत स्टॉक	-	-
तैयार माल	-	-
चालू कार्य	-	-
आदि स्टॉक	-	-
तैयार माल	-	-
चालू कार्य	-	-
निवल वृद्धि/कमी	-	-

अनुसूची 20: स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
मूल वेतन	9,069,498	5,333,696
बोनस	35,000	17,270
महंगाई भत्ता/ग्रेड वेतन	649,595	952,665
कम्पोजिट स्थानांतरण अनुदान	-	-
महंगाई भत्ता	5,934,869	7,408,644
परिवहन भत्ता	777,956	797,084
नई पेंशन निधि में योगदान	888,902	609,043
सीपीएफ में नियोक्ता का योगदान	241,000	96,000
आवास किराया भत्ता	1,155,922	1,227,692
छुट्टी नकदीकरण	1,093,265	480,911
छुट्टी वेतन और पेंशन योगदान	98,829	229,221
छुट्टी यात्रा रियायत	192,424	120,088
बाल/बालिका शिक्षा भत्ता	218,502	186,330
अतिरिक्त समय भत्ता	9,096	-
ग्रेच्युटी	1,047,403	405,947
मजदूरी	7,184,228	7,433,721
ठेके पर स्टाफ का वेतन	5,333,991	5,259,903
स्टाफ कल्याण व्यय	40,534	4,314
वेतन व भत्ते - अन्य	90,584	89,874
जीन निधि में योगदान	57,167,000	18,500,000
योग	91,228,598	49,152,403


जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012



आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

राशि, रुपये में

अनुसूची 21. अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (प्राधिकरण)	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सामान्य सेवा व्यय	-	980,355.00
बिजली तथा जल व्यय	230,770.00	269,474.00
प्राधिकरण बैठकों पर व्यय	925,262.00	1,326,388.00
प्रदर्शनियाँ, कार्यशालाओं व संगोष्ठियों पर व्यय	404,336.00	97,623.00
प्रशिक्षण, जागरूकता व कार्यक्रमों पर व्यय	3,578,019.00	28,119,089.00
कार्यशालाओं व जागरूकता कार्यक्रमों पर व्यय	233,600.00	153,752.00
प्राधिकरण बैठकों पर व्यय किराया प्रभार - समिति कक्ष	-	-
किराया प्रभार - उपकरण	2,065,188.00	1,804,146.00
किराया प्रभार - वाहन	141,568.00	113,381.00
सत्कार व्यय	8,935.00	5,349.00
बीमा	125,341.00	44,350.00
फुटकर व्यय	52,684.00	75,167.00
समाचार पत्र	858,345.00	1,213,582.00
डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन	3,226,828.00	3,360,201.00
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	15,105.00	-
व्यवसायिक शुल्क	939,996.00	1,118,033.00
समाचार पत्र में प्रसार और विज्ञापन	714,673.00	923,352.00
किराया, दरें और कर	1,730,453.00	379,508.00
रखरखाव व मरम्मत	613,178.00	657,023.00
सिटिंग व्यय	122,120.00	198,800.00
यात्रा व्यय - घरेलू - स्टाफ	1,644,256.00	2,339,793.00
व्यय - घरेलू - विशेषज्ञ	2,417,053.00	2,236,313.00
यात्रा व्यय - विदेश - स्टाफ	-	-
योग	20,047,710.00	45,415,679.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (जीन निधि)		
कार्यक्रम प्रबंधन पर व्यय	61,034.00	-
विविध व्यय	190,618.00	-
मुद्रण तथा लेखन सामग्री पर व्यय	302,534.00	-
यात्रा व्यय - घरेलू - स्टाफ	2,272.00	.
व्यय - घरेलू - विशेषज्ञ	776,795.00	.
वाहन किराये पर व्यय	13,396.00	-
प्राधिकरण बैठकों पर व्यय किराया समिति कक्ष	44,000.00	.
प्रतिदान व पुरस्कार	13,450,000.00	.
प्रदर्शनियों व कार्यशालाओं पर व्यय	795,923.00	.
योग	15,636,572.00	-


जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2017 के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि, रुपये में

अनुसूची 22 अनुदानों/आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान	58,308,868	49,460,328
संस्थानों/संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता	-	-
अंतरराष्ट्रीय संगठनों (आईटीपीजीआरएफए) को दिए गए योगदान	-	-
योग	58,308,868	49,460,328
अनुसूची 23 : ब्याज		
निश्चित ब्याज पर	-	-
अन्य विशिष्ट ऋण (बैंक प्रभार सहित)	17,783	10,985
अन्य	-	-
योग	17,783	10,985
जीन निधि		
अन्य विशिष्ट ऋण - बैंक प्रभारों सहित - जीन निधि	633	630.00
योग	633	630.00

जस प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएसएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2.102
आर.पी.अग्रवाल
महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएसएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

श. राजेन्द्र
अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएसएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

अनुबंध -क

पूर्वावधि समायोजन लेखा

राशि, रुपये में

क.सं.	लेखा शीर्ष	नामे	जमा	शेष राशि
	प्राधिकरण निधि			
1	प्रशासनिक व्यय	22,790	-	22,790
2	प्रशिक्षण व्यय	686,207	-	686,207
3	विद्यमान डीयूएस	3,427,671	2,613,106	814,565
4	नए डीयूएस	414,913	-	414,913
5	स्टाफ	61,466	-	61,466
	योग	4,613,047	2,613,106	1,999,941

पूर्वावधि समायोजन लेखा

क.सं.	लेखा शीर्ष	नामे	जमा	शेष राशि
	जीन निधि			
1	वार्षिक शुल्क	-	-	-
	योग	-	-	-

जस प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह

किरीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/10/22

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

विद्यमान डीयूस केन्द्रों से प्राप्य राशि के ब्योरे दर्शाने वाला विवरण											
क्र.सं.	डीयूस केन्द्र का नाम	फसल	01.04.2016 को आदिशेष	2015-16 के और पूर्व वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2016 को संशोधित आदिशेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरित	2016-17 के दौरान जारी की गई राशि	वापिस किये गये रुपये	2016-17 के दौरान व्यय	31.03.2017 को अंत शेष	
1	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	जिमीकंद और अरबी	250,000	240,496	9,504	-	-	-	-	9,504	
2	एनबीपीजीआर (क्षेत्रीय स्टेशन) शिमला	चोलाई	19,041	-	19,041	-	-	-	-	19,041	
3	आईएआरआई, आनुवांशिकी विभाग, नई दिल्ली		35,026	-	35,026	-	-	-	-	35,026	
4	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	ज्वार	27,390	-	27,390	9,000	-	-	-	36,390	
5	आईआईएचआर, बैंगलोर	रजनीगंधा	-	-	-	40,284	-	-	-	40,284	
6	एनबीआरआई, लखनऊ	कैना	54,656	-	54,656	-	-	-	-	54,656	
7	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेंद्रम	शकरकंदी और कसाव	15,058	-	15,058	-	50,000	-	-	65,058	
8	एनडीयूएटी, फंजाबाद	जौ	79,540	-	79,540	-	-	-	-	79,540	
9	एनबीआरआई, लखनऊ (रलेडिओलस किस्में)	रलेडिओलस	79,663	-	79,663	-	-	-	-	79,663	
10	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, पुणे	चाइना एस्टर	100,000	-	100,000	-	-	-	-	100,000	
11	एसएफआरआई, ईटानगर	आर्किड	100,000	-	100,000	-	-	-	-	100,000	
12	पुष्पविज्ञान निदेशालय, आईएआरआई, नई दिल्ली	रलेडिओलस	105,034	-	105,034	-	-	-	-	105,034	
13	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	परवल	51,551	-	51,551	-	64,449	-	-	116,000	
14	चावल अनुसंधान निदेशालय, कटक	चावल	117,745	-	117,745	-	-	-	-	117,745	
15	पुष्पविज्ञान निदेशालय, आईएआरआई, नई दिल्ली	गुलाब एवं गुलदाउदी	124,295	-	124,295	-	-	-	-	124,295	
16	आईआईएचआर, बैंगलोर	चमेली	-	-	-	33,023	100,000	-	-	133,023	

17	जीन कम्पैन, नई दिल्ली		140,000	-	140,000	-	-	-	-	-	-	140,000	-	-	-	140,000
18	कृषि और खाद्य उत्पाद, भुवनेश्वर	चावल	150,003	-	150,003	-	-	-	-	-	-	150,003	-	-	-	150,003
19	सीआईएच, बीकानेर	बेर	171,663	-	171,663	-	-	-	-	-	-	171,663	-	-	-	171,663
20	सीआईएसएच	आड़ू और बेर	199,327	-	199,327	-	-	-	-	-	-	199,327	-	-	-	199,327
21	आरएआरआईए दुर्गापुर, जयपुर	आम	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	559,836	-	-	404,146
22	उपासी, कोयमटूर	जौ	270,000	-	270,000	-	-	-	-	-	-	270,000	-70,000	-	-	200,000
23	पुष्पविज्ञान निदेशालय, आईएआरआई	चाय	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	200,000
24	पुष्पविज्ञान निदेशालय, आईएआरआई, नई दिल्ली	रजनीगंधा	207,814	-	207,814	-	-	-	-	-	-	207,814	-	-	-	207,814
25	पुष्पविज्ञान निदेशालय, आईएआरआई, नई दिल्ली	बोगेनविलिया	208,400	-	208,400	-	-	-	-	-	-	208,400	-	-	-	208,400
26	सीआईएच, बीकानेर	तरबूज और खरबूज	(94,997)	113,197	-208,194	-	-	-	-	-	-	-208,194	417,405	-	-	209,211
27	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी (पुणे स्टेशन)	चाइना एस्टर	209,542	-	209,542	-	-	-	-	-	-	209,542	-	-	-	209,542
28	आईएआरआई, पुष्पविज्ञान एवं भुदृश्य निर्माण संभाग बिभाग, नई दिल्ली	गुलाब एवं गुलदाउदी	(66,913)	-	-66,913	-	-	-	-	-	-	-66,913	300,000	-	-	226,487
29	आईआईएसआर, कोजीखाद	बीजीय मसाले	240,771	-	240,771	-	-	-	-	-	-	240,771	-	-	-	240,771
30	यूपएस, बैंगलोर	चावल	640,288	529,668	110,620	-	-	-	-	-	-	110,620	143,847	-	-	254,467
31	एसकेएनएच, जोबनेर	जौ	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	70,000	-	-	270,000
32	जेएनकेवीपी, जबलपुर	मटर, अलसी	271,000	-	271,000	-	-	-	-	-	-	271,000	-	-	-	271,000
33	विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	पान	275,000	-	275,000	-	-	-	-	-	-	275,000	-	-	-	275,000
34	सीएसएच और टी परियोजना समन्वयक (अलसी), कानपुर	अलसी	11,353	-	11,353	-	-	-	-	-	-	11,353	273,151	-	-	284,504
35	आईजीकेवी, रायपुर	चावल	665,000	378,725	286,275	-	-	-	-	-	-	286,275	-	-	-	286,275
36	काजरी, जोधपुर		298,099	-	298,099	-	-	-	-	-	-	298,099	-	-	-	298,099

37	सीआईएच, बीकानेर	बेर	96,539	-	96,539	-	203,461	-	270,163	29,837
38	एमपीयूटी	मक्का	300,000	-	300,000	-	-	-	-	300,000
39	पी एंड एओ, कृषि विद्यालय, कोल्हापूर	मक्का	300,000	-	300,000	-	-	-	-	300,000
40	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, सब्जी विज्ञान संग्राम, नई दिल्ली	लौकी	17,558	-	17,558	-	284,760	-	-	302,118
41	राज्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश	आर्किड	310,034	-	310,034	-	-	-	-	310,034
42	आईएआरआई, क्षेत्रीय स्टेशन, कटराइन	इंदगोभी और पत्तागोभी	51,464	-	51,464	6,000	258,036	-	-	315,500
43	आईआईएचआर, बैंगलोर	आम	311,999	268,668	43,331	-	300,000	-	-	343,331
44	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, त्रिची	केला	131,295	-	131,295	-	300,000	81,295	238,211	111,789
45	एमपीकेवी राहुरी	गुलाब	383,407	-	383,407	-	-	-	-	383,407
46	टीआरए, टोकलई	चाय	550,000	155,088	394,912	-11,235	-	-	-	383,677
47	कारी, पोर्टब्लेयर	नोनी	163,972	-	163,972	-	220,143	-	-	384,115
48	टीएनएयू, कोयम्बटूर	लघु अनाज	725,000	316,519	408,481	-	-	-	-	408,481
49	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	चोलाई	425,554	-	425,554	-	-	-	-	425,554
50	टीएनएयू, कोयम्बटूर	चमेली	100,000	99,986	14	-	450,000	-	-	450,014
51	मृगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़	मृगफली	123,179	-	123,179	16,000	417,481	82,550	424,862	49,248
52	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, सब्जी विज्ञान संग्राम, नई दिल्ली	मिर्च	(130,199)	23,800	-153,999	-	628,843	-	274,017	200,827
53	डॉ वाईएस परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	आर्किड	28,981	-	28,981	177,623	287,500	-	-	494,104
54	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	खीरा	498,218	-	498,218	-	-	-	-	498,218
55	जेएनकेवी, जबलपुर	तिल और नाइजर	239,736	113,948	125,788	-	374,163	-	-	499,951
56	आईआईएचआर, बैंगलोर	तरबूज और खरबूज	246,544	-	246,544	-	253,456	-	289,712	210,288

57	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर	शहतूत	635,031	409,691	225,340	-	275,000	-	-	500,340
58	जुनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर	अरुढ	522,193	397,200	124,993	9,000	368,000	-	339,088	162,905
59	डॉ वाईएस परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	गुलनार	(271,507)	-	-271,507	-	779,560	-	-	508,053
60	अंगराठ, हैदराबाद	लघु अनाज	508,701	-	508,701	-	-	-	-	508,701
61	गन्ना प्रजनन संस्थान, अमली	गन्ना	99,414	-	99,414	-	425,586	-	519,433	5,567
62	वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयमबटूर	केलिटस और केसुरि	195,068	131,796	63,272	-	475,294	-	-	538,566
63	आईआईएचआर, बेंगलोर	चौलाई, पालक, तुरई	-	-	-	470,649	71,657	-	274,916	267,390
64	राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर	बीजीय मसाले	57,312	-	57,312	-	567,823	65,500	-	559,635
65	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	चावल	115,386	-	115,386	12,000	434,614	-	-	562,000
66	आईएआरआई, पुष्पविज्ञान संभाग, नई दिल्ली	गेंदा	3,809	-	3,809	-	582,991	-	584,679	2,121
67	विपकास, अल्मोडा	गजमा, सोयाबीन, मक्का	425,000	441,442	-16,442	-	616,422	-	-	599,980
68	प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राजगुरुनगर	प्याज और लहसुन	222,310	-	222,310	-	377,690	-	503,317	96,683
69	राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिक्किम	आर्किड	185,209	-	185,209	-	414,791	-	516,056	83,944
70	एनआरसीपी, शोलापुर		20,020	-	20,020	-279,980	859,960	-	556,742	43,258
71	आईएआरआई, शाकीय विज्ञान संभाग	प्याज और लहसुन	82,318	-	82,318	-	536,068	-	-	618,386
72	गन्ना प्रजनन संस्थान, लखनऊ	गन्ना	36,580	-	36,580	14,000	592,363	-	622,563	20,380
73	आईआईएचआर, बेंगलोर	पान	-	451,264	-451,264	633,818	464,711	-	418,773	228,492
74	सीएसएयू और टी, कानपुर	सरसो, गहूँ	34,188	-	34,188	36,000	578,312	-	-	648,500
75	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट	मसालें	95,080	-	95,080	-	555,220	-	-	650,300
76	सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय	सोयाबीन	90,887	-	90,887	4,000	559,113	-	590,667	63,333

77	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	मुं, उड़द, मसूर, राजमा, मटर	193,302	-	193,302	-	465,696	-	-	658,998
78	बीएसकेवीबी, डपोली	चावल	670,816	-	670,816	-	-	-	-	670,816
79	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, पूना	अंगूर	425,000	-	425,000	279,980	-	-	473,500	231,480
80	आईएआरआई, क्षेत्रीय स्टेशन, करनाल	चावल	520,706	307,226	213,480	18,000	475,294	-	563,038	143,736
81	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, कोयमबटूर	गन्ना	378,026	60,754	317,272	10,500	393,738	-	521,394	200,116
82	आईजीकेवी, रायपुर	चावल	525,000	-	525,000	-	733,170	-	520,670	737,500
83	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, करनाल	गन्ना	165,706	-	165,706	-	582,716	-	512,649	235,773
84	आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल	जौ	115,651	-	115,651	-	640,162	-	528,559	227,254
85	तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर	तोरिया और सरसों	563,671	292,052	271,619	44,000	452,052	-	293,444	474,227
86	आईआईएचआर, बैंगलोर	मिर्च	-	-	-	-	1,284,120	-	1,122,237	161,883
87	आरएयू बीकानेर-मंदौर एआईसीपीएमआईपी जोधपुर	बाजरा	882,625	883,456	-831	252,000	544,206	-	-	795,375
88	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	जई, लोबिया व मिनी घास	576,625	523,159	53,466	220,500	533,874	-	-	807,840
89	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	जिमीकंद और अरबी	550,000	648,556	-98,556	-	913,441	-	499,409	315,476
90	सीआरआरआई, कटक	चावल	58,398	-	58,398	228,000	531,233	-	494,382	323,249
91	एस.डी. कृषि विश्वविद्यालय	दाले	818,479	-	818,479	-	-	-	-	818,479
92	पीडीकेवी, अकोला	चना, मसूर दाल	1,085,886	594,999	490,887	36,000	300,000	-	-	826,887
93	शाक्रीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	चौलाई, पालक, तुरई	750,000	466,570	283,430	-250,000	795,640	-	-	829,070
94	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशुर	आकिंड	931,111	-	931,111	-	-	-	-	931,111
95	केन्द्रीय औषधीय एवं संग्रहीय पादप संस्थान, आनंद	एम व ए प्लान्ट	50,647	-	50,647	-	882,953	-	659,619	273,981
96	चौधरी चरण सिंह हिसार कृषि विश्वविद्यालय	कपास, चना	853,624	617,221	236,403	263,375	442,859	-	-	942,637

97	आईआरआई, क्षेत्रीय स्टेशन, इंदौर	गेहूँ	621,613	328,417	293,196	6,000	644,500	-	-	943,696
98	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	आलू	655,608	381,970	273,638	-	702,400	-	666,449	309,589
99	अंगराउ, हैदराबाद	मक्का, चने	754,991	-	754,991	-62,000	-	-	-	692,991
100	नेह क्षेत्र, बारपानी	चावल	964,000	423,845	540,155	-	595,145	-	-	1,135,300
101	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, सब्जी विज्ञान संभाग, नई दिल्ली	बंदगोभी और फूलगोभी	1,026,185	231,271	794,914	180,000	200,000	-	527,492	647,422
102	आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल	गेहूँ	13,237	-	13,237	36,000	1,175,000	-	1,048,925	175,312
103	टीएनएसू, कोयंबटूर	चावल, सूरजमुखी, मूंगफली	1,019,392	817,198	202,194	255,000	792,198	-	828,355	421,037
104	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	शकरकंदी और कसाव	1,315,992	-	1,315,992	-	-	-	-	1,315,992
105	आईआईएमआर आईसीएआर- हैदराबाद यूनिट	बाजरा	274,897	-	274,897	-	1,063,100	-	905,896	432,101
106	केन्द्रीय जूट एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, ब्रैकपुर एवं सीएसआरएस, बंदबंद	जूट	720,750	141,115	579,635	49,000	716,115	-	854,332	490,418
107	एमपीकेवी राहुरी	कपास	1,000,299	-	1,000,299	-	412,201	-	-	1,412,500
108	भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	सूरजमुखी, अरुंड व कुसुम	163,043	-	163,043	268,000	1,022,957	-	977,678	476,322
109	सीपीसीआरआई, केरल	नारियल	1,324,750	353,949	970,801	-	528,949	-	536,036	963,714
110	यूएस, जीकेवीके, बंगलोर	लघु अनाज	571,426	-	571,426	-	950,000	-	-	1,521,426
111	निदेशक, केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, लखनऊ	अमरुद व लीची	359,026	-286,866	645,892	-	472,766	-	398,758	719,900
112	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	चना व अरहर	861,690	148,655	713,035	-	982,448	-	463,801	1,231,682
113	एमपीकेवी राहुरी	ज्वार, बाजरा	546,388	-	546,388	312,000	945,862	-	-	1,804,250
114	आईआईएवआर, हेसरघट्टा बंगलोर	सब्जी	591,750	1,758,142	-1,166,392	1,282,000	1,224,000	-	-	1,339,608
115	यूएस, धारवाड	कपास, सोयाबीन, मूंगफली और तिल	473,797	-	473,797	390,625	984,545	-	-	1,848,967
116	आईआईएवआर, बंगलोर	गुलाब और गुलदाउदी	962,489	-	962,489	-30,351	989,796	-	1,212,436	709,498

117	आईआईआरआर, हैदराबाद	चावल	1,478,051	1,008,809	469,242	412,000	1,067,897	-	-	1,949,139
118	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	मक्का	-180,764	-	-180,764	452,000	2,170,514	-	-	2,441,750
119	सीआईसीआर, कोयमबदूर	कपास	2,979,810	968,764	2,011,046	525,000	825,125	-	2,024,227	1,336,944
120	सीआईसीआर, नागपुर	कपास	1,041,667	-1,719,761	2,761,428	245,000	944,887	-	964,157	2,987,158
121	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	भिंडी, बैंगन, टमाटर, पत्तागोभी, फलगाँगी	5,237,471	1,227,970	4,009,501	928,000	224,000	-	2,994,997	2,166,504
122	डीटीआर एंड डीसीटीबी, कुरसिंग	चाय	100,000	-	100,000	-	-100,000	-	-	-
123	आईआईएचआर, बैंगलोर	कार्नेशन	-	-	-	-	-	-	-	-
124	आईआईएचआर, बैंगलोर	चौलाई	-	-	-	-	-	-	-	-
125	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	चना	-	-	-	-	-	-	-	-
126	टोकलई प्रायोगिक अनुसंधान केन्द्र, जोरहाट	चाय	-11,235	-	-11,235	11,235	-	-	-	-
127	सीआईटीएच, श्रीनगर	स्ट्रबेरी	-42,000	-	-42,000	-358,000	400,000	-	-	-
128	सीआईटीएच, श्रीनगर	आडू व बेर	146,538	486,961	(340,423)	358,000	450,000	-	450,000	17,577
129	आईआईपीआर, कामपुर	अरहर	-	-	-	-	132,965	-	132,965	-
130	सीमैप, लखनऊ	औषधीय पौधे	(15,421)	-	(15,421)	-	312,500	-	297,079	-
131	जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	-	308,599	-	308,599	413,000	908,431	-	1,630,030	-
	योग		48,864,741	14,735,920	34,128,821	7,945,046	47,131,161	229,345	30,107,890	58,867,793

जय प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2189
आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

विद्यमान डीयूस केन्द्रों को दी गई राशि के बारे में दर्शाने वाला विवरण										
क्र. सं.	डीयूस केन्द्र का नाम	फसल	01.04.2016 को आदिशेष	2015-16 के और पूर्व वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2016 को संशोधित आदिशेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरित	2016-17 के दौरान जारी की गई राशि	वापिस की गई राशि	2016-17 के दौरान व्यय	31.03.2017 को अंत शेष
1	कपयू, त्रिशुर	आकिंड	(191,205)	-	(191,205)	-	-	-	-	(191,205)
2	एनबीआरआई लखनऊ (बोगनवीलिया)	बोगनवीलिया	(236,149)	-	(236,149)	-	-	-	-	(236,149)
3	एनडीयूप एंड टी, फौजाबाद	जौ	(79,540)	-	(79,540)	-	-	-	-	(79,540)
4	राष्ट्रीय नौबू अनुसंधान केन्द्र, नागपुर	नौबू	(148,252)	-	(148,252)	-	-	-	-	(148,252)
	योग		(655,146)	-	(655,146)	-	-	-	-	(655,146)

जय प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2189
आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

नए डीयूस केन्द्रों से प्रायः राशि के बारे में दर्शाते बाला विवरण

क्र.सं.	नए डीयूस केन्द्र का नाम	फल	01.04.2016 को आदि शेष	2016-16 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2016 को संशोधित शेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2016-17 के दौरान जारी कुल राशि	वापसी	2016-17 के दौरान व्यय	31.03.2017 को अंत शेष
1	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (कृषक जागरूकता)	कमाय, गेहूँ	7,350	-	7,350	-	-	-	-	7,350
2	एचएफआरआई, शिमला	कोनिफर	191,704	-	191,704	-	-	163,141	-	28,563
3	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	लघु अनाज	38,399	-	38,399	-	-	-	-	38,399
4	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	कार्बोनाम	235,000	-	235,000	-177,623	-	-	-	57,377
5	आईआईएलआर, बंगलुरु	बाइना एटर	-	178,335	(178,335)	249,526	-	-	-	71,191
6	मॉडिफ बायम प्लैंट कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंजाब	लघु अनाज (जई और लोखिया)	80,476	-	80,476	-	-	-	-	80,476
7	आईसीएफआरआई, झांसी	जई, मिनी घास	301,055	267,815	33,240	-	100,000	-	-	133,240
8	बीएयू साबौर, भागलपुर	अनाज दालें व सब्जी	-	-	-	-	165,000	-	-	165,000
9	लमिल नाइ कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर	पपीता और शरीरा	200,000	-	200,000	-	-	-	-	200,000
10	निचंकर, यू.एच.एस. भागलकोट	मोरिंग ओलिकेरा लाने	218,513	-	218,513	-	-	-	-	218,513
11	आई एफ जी टी बी, कोयंबटूर	टेक्टोना ड्रिच	855,970	583,958	272,012	(450,000)	400,000	-	-	222,012
12	केंद्रीय युक्त बागवानी संस्थान, बीकानेर	आंवला	71,055	-	71,055	-	203,945	-	99,013	175,987
13	केंद्रीय युक्त बागवानी संस्थान, बीकानेर	विरांजी और इमली	151,210	-	151,210	-	123,790	-	-	275,000
14	सीआईएसएच, लखनऊ (रेल)	बेल	225,000	205,800	19,200	-	255,800	-	215,309	59,691
15	एनआरसी ऑन लीकी, मुजफ्फरनगर	लौकी व अमरुद	-	-	-	-	275,000	-	271,767	3,233
16	सीआईएसएच, लखनऊ (रेल)	बेल	125,000	-	125,000	-	190,267	-	-	315,267
17	सर्वा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट	बांस	334,678	-	334,678	-	-	-	-	334,678
18	एन आर सी पी, सोलापुर	काजू	347,220	-	347,220	-	-	-	-	347,220
19	लमिल नाइ कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर	नीम, करंज, रसजोत	359,259	-	359,259	-	-	-	-	359,259
20	निचंकर, एस्डीएच, एस्के नागपुर, गुजरात (सुंदर)	खजूर	400,000	-	400,000	-	-	-	-	400,000
21	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	मिलो (सलिस प्रजाति)	614,000	491,191	122,809	-	288,298	-	-	411,107
22	सीपीसीआरआई	कोकोवा	450,000	-	450,000	-	-	-	382,090	67,910
23	माक अनुप, गोंडा	राम्बो	450,000	-	450,000	-	-	-	-	450,000
24	निदेशक, एन आर सी एस एस, अजमेर	अलगायन, दित, कर्लीकी, सेलरी, सीक	450,000	-	450,000	-	-	-	-	450,000
25	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	विलम एस्पी, आरिचंदल, एशियाटिक, एलए एवं आटी हाईब्रिड	450,000	-	450,000	-	-	-	-	450,000

26	आई एफ जी टी बी. कोयंबूर	एलईएस	450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	450,000
27	लमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबूर	लाल सैंडर व भारतीय चंदन	-	-	-	450,000	-	-	-	-	410,990
28	आईआईएचआर, बंगलुरु	जरबेरा	-	-	-	450,000	-	-	-	-	435,560
29	एसकेयूपएसटी-के श्रीनगर	मक्का और लैंड रिसिस	-	-	-	-	450,000	-	-	-	450,000
30	एसएमयूपएस इलाहाबाद	मक्का और लैंड रिसिस	-	-	-	-	450,000	-	-	-	450,000
31	केंद्रीय कौमी अनुसंधान संस्थान, कर्नाटक	कौमी	-	-	-	-	450,000	-	-	-	450,000
32	यूपएस, धारवाड	लोबिया	-	-	-	-	450,000	-	-	-	450,000
33	सीपी सीआरआई कर्नाटक	सुपारी	-	-	-	-	450,000	-	-	-	450,000
34	डॉ. बी. एस. कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, इपोली	जायफल	-	-	-	-	450,000	-	-	-	450,000
35	सीआईएसएच, बीकानेर	खजूर	-	-	-	-	450,000	-	-	-	450,000
36	काजरी, जोधपुर	कुल्शी, मोट, गुआर, लाख	204,177	-	204,177	-	-	-	270,823	-	183,289
37	सीआईएसएच, बीकानेर	जामुन	218,700	-	218,700	-	-	-	256,744	-	475,444
38	सीआईएसएच, बीकानेर	कोलोकसिया	493,446	-	493,446	-	-	-	-	-	493,446
39	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र	सैबकअंन	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	432,890
40	काजरी, जोधपुर	कुल्शी, मोट, गुआर, लाख	388,709	365,365	23,344	-	-	-	491,656	-	515,000
41	केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, लखनऊ	आंवला	380,000	250,466	129,534	-	-	-	420,466	-	219,575
42	केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, लखनऊ	जामुन	200,000	123,256	76,744	-	-	-	473,556	-	240,666
43	केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, मोट लोयार	मूंग, उडद, लोबिया, चने	446,000	473,465	(27,465)	-	-	-	646,000	-	618,535
44	डॉ0 बी एस के के बी, इपोली	जायफल	204,367	-	204,367	-	-	-	345,633	-	272,607
45	यूपएस, धारवाड	कुल्शी, मोट, गुआर, लाख	382,972	-	382,972	-	-	-	566,028	-	949,000
46	निदेशक, मा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	मूली और गाजर	1,107,095	426,563	680,532	-	-	-	423,960	-	548,836
47	मा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	नींबू और पल्ल	450,000	-	450,000	-	-	-	900,000	-	1,350,000
48	आईआईएचआर, बंगलुरु	आईआईएचआर, बंगलुरु	4,529,094	-	4,529,094	(2,296,949)	-	-	85,000	-	2,317,145
49	आईसीएआर रिमार्च कॉम्प्लेक्स नई क्षेत्र, उदियम	कटहल	-	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000
50	बीएसकेबी इपोली	दाल, सब्जी व अमाज	-	-	-	-	-	-	450,000	-	450,000
	योग		16,510,448	3,366,214	13,144,235	-1,775,046	10,781,966	163,141	4,012,438	17,975,576	

डा. पी. सिंह
 निदेशक, मा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-110012

2/12/22
 आर.सी.अग्रवाल
 महा प्रोवोकार
 पीपीबी और एफआरए, भारत सरकार
 एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

पी. राजेंद्र
 अध्यक्ष
 पीपीबी और एफआरए, भारत सरकार
 एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

नए डीयूस केन्द्रों को भुगतान की जाने वाली राशि को दर्शाने वाला विवरण										
क्र.सं.	नए डीयूस केन्द्र का नाम	फसल	01.04.2016 को आदि शेष	2015-16 तथा पूर्व वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2016 को संशोधित आदिशेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2016-17 के दौरान जारी कुल राशि	वापसी	2016-17 के दौरान व्यय	31.03.2017 को अंत शेष
1	तमिलनाडू कृषि विश्वविद्यालय, कोयमबटूर	बाजरा	(154,480)	-	(154,480)	-	-	-	-	-154,480
2	राष्ट्रीय पादम आनुवंशिक संसाधन यूरो, क्षेत्रीय स्टेशन, अकाला	चौलाई	(22,474)	-	(22,474)	-	-	-	-	-22,474
3	आईआईएचआर, बेंगलूर	गेंदा	-	-	-	-	444,000	-	483,042	-39,042
	TOTAL		(176,954)	-	(176,954)	-	444,000	-	483,042	-215,996

जय प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2189
आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

अनुबंध- च अनुबंध- च
राशि रूपयों में

संदर्भ प्रयोगशालाओं से प्राप्य राशि को दर्शाने वाला विवरण									
क्र. सं.	केन्द्र का नाम	01.04.2016 को आदिशेष	2015-16 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2016 को संशोधित शेष	अच्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2016-17 के दौरान जारी राशि	वापसी	2016-17 के दौरान व्यय	31.03.2017 को अंत शेष
1	एनबीपीजीआर, जैव रसायन विज्ञान परीक्षण, नई दिल्ली	81,978	-	81,978	-	-	-	-	81,978
2	सीआरआरआई, कटक	49,714	-	49,714	-	-	-	-	49,714
3	एनआरसीपीबी, नई दिल्ली	209,719	-	209,719	-	-	-	-	209,719
4	भा.कृ.अ.प. इकाई, सीआईसीआर, नागपुर	569,384	-	569,384	-	-	-	-	569,384
5	परियोजना निदेशक, डीओआर, हैदराबाद	146,945	-	146,945	-	-	-	-	146,945
6	निदेशक, आईआईएचआर, बंगलुरु	203,871	-	203,871	-	-	-	-	203,871
7	परियोजना निदेशक, डीएमआर, नई दिल्ली	1,000,000	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-
	योग	2,261,611	-	2,261,611	-	-	1,000,000	-	1,261,611

जस प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2182
आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक से प्राप्य राशि को दर्शाने वाला विवरण									
क्र. सं.	केंद्र का नाम	01.04.2016 को आदिशेष	2015-16 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2016 को संशोधित आदिशेष	अन्य केंद्रों से/को हस्तांतरण	2016-17 के दौरान जारी राशि	वापसी	2016-17 के दौरान व्यय	31.03.2017 को अंतशेष
1	बीएस, बनारस	200,000	138,163	61,837	-	1,000,000	-	-	1,061,837
2	डॉ. बाला साहेव कोंकण कृषि विद्यापीठ, इपोली	44,931	-	44,931	-	705,069	-	735,088.00	14,912
3	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	698,796	563,267.00	135,529	-	565,951	-	-	701,480
4	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	268,036	-	268,036	-	878,932	24,555	837,629.00	284,784
	योग	1,211,763	701,430	510,333	-	3,149,952	24,555	1,572,717	2,063,013

जय प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


2182
आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

जीन बैंक तथा फीलड जीन बैंक को अदा की जाने वाली राशि को दर्शाने वाला विवरण									
क्र.सं.	केन्द्र का नाम	01.04.2016 को आदि शेष	2015-16 तथा पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2016 को संशोधित आदिशेष	अन्य केन्द्र से/को हस्तांतरण	2016-17 के दौरान जारी राशि	वापसी	2016-17 के दौरान व्यय	31.03.2017 को अंत शेष
1	काजरी, जोधपुर	(147,661)	-	(147,661)	-	375,000	326,626	48,374	-147,661
	योग	(147,661)	-	(147,661)	-	375,000	326,626	48,374	-147,661


जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2102

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

प्रशिक्षण केंद्रों को पेशगी										
क्र.सं.	लामार्थी का नाम	01.04.2016 को आदिशेष	2015-16 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2016 को सशोधित आदिशेष	अन्य केंद्रों से/को हस्तांतरण	2016-17 के दौरान जारी राशि	वापसी	2016-17 के दौरान व्यय	31.03.2017 को अंत शेष	
1	आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, अंगारू	1,120,000	-	1,120,000	-	-	-	-	1,120,000	
2	अपर निदेशक (एफसी), कृषि विभाग, सिकिम	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000	
3	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात	241,819	-	241,819	-	-	-	-	241,819	
4	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोराहट, (एएच)	520,000	-	520,000	-	-	-	-	520,000	
5	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी (बीएचयू) मिर्जापुर	240,000	-	240,000	-	-	-	-	240,000	
6	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, (बीसीकेवी)	1,270	-	1,270	-	-	-	-	1,270	
7	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर बीएचयू	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (बीएचयू)	99,417	-	99,417	-	-	-	-	99,417	
9	बीएमएस प्रशिक्षण संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर, (सी ए आर आई)	185,192	-	185,192	-	-	-	-	185,192	
11	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर, (सी ए यू)	80,000	-	80,000	-	80,000	-	80,000	80,000	
12	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	320,000	-	320,000	-	-	-	-	320,000	
13	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कोयंबटूर, सीआईसीआर	39,600	-	39,600	-	-	-	-	39,600	
14	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर, सीआईसीआर	249,760	70,760	179,000	-	-	-	-	179,000	
15	केन्द्रीय औषधीय एवं संगठित पौधा संस्थान, लखनऊ (सीआईएमएफ)	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	कृषि और ग्रामीण विकास केंद्र	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	सी ई ओ, ग्रामीण विकास टस्ट नोएडा	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000	
18	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (सीसीएसएसएचएच)	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	नियंत्रक, बीएसकेबी, इपोली केन्द्रीय औषधीय एवं संगठित	84,022	49,880	34,142	-	-	-	-	34,142	
20	नियंत्रक, च. एस के के विश्वविद्यालय, पालमपुर (कुल्लू, कांगड़ा, सिपमर, बिलासपुर)	201,667	396,594	-194,927	-	400,000	-	-	205,073	
21	नियंत्रक, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	114,701	-	114,701	-	-	-	-	114,701	
22	नियंत्रक, आर ए यू, बीकानेर	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000	
23	एसएसआरआई अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	नियंत्रक, एस के यू ए एस टी, राजौरी, जम्मू	765,630	-	765,630	-	-	-	-	765,630	
25	नियंत्रक, वी एम के वी, महाराष्ट्र	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000	
26	नियंत्रक, सी के वी, छत्तीसगढ़	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000	
27	नियंत्रक, आई जी के वी, रायपुर (वातेवाड़ी)	41,314	-	41,314	-	-	-	-	41,314	
28	नियंत्रक, आई जी के वी वी, रायपुर	977,402	959,776	17,626	-	-	-	-	17,626	
29	नियंत्रक, जे एन के वी वी, जबलपुर	934,564	753,689	180,875	-	-	-	-	180,875	
30	नियंत्रक, के वी ए और एक एस यू, बिदर	80,746	-	80,746	-	-	-	-	80,746	
31	नियंत्रक, एम पी यू ए और टी, उदयपुर	439,433	-	439,433	-	-	14,415.00	-	425,018	
32	नियंत्रक, एस बी वी पी यू ए और टी, मेरठ	565,572	50,919	514,653	-	-	-	-	514,653	
33	नियंत्रक, एस डी ए यू, गुजरात	54	-	54	-	-	-	-	54	

114	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केएयू (वैल्लानिकाय, पालघाट)	544,107	438,207	105,900	-	-	-	-	105,900
115	कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा (एमएसकेजेयूएटी)	-	-	-	-	-	-	-	-
116	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, एम ए यू	60,000	-	60,000	-	-	-	-	60,000
117	एम पी के वी, राहुरी निदेशक, डी एम आर, भरतपुर	113,729	60,800	52,929	-	-	-	16,452	36,477
118	नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फ़ैजाबाद एन डी यू ए एण्ड टी	720,000	-	720,000	-	-	-	-	720,000
119	नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-
120	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-
121	एन ए यू, नवसारी, गुजरात	31,752	-	31,752	-	48,195.00	-	-	(16,443)
122	केंद्रीय नैबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-
123	एन आर सी सोयाबीन	-	-	-	-	-	-	-	-
124	एन आर सी - ऑर्किड, सिक्किम	80,000	-	80,000	-	80,000	-	80,000	80,000
125	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, (ओयूएटी)	1,857,400	1,340,506	516,894	-	-	-	-	516,894
126	डीएसआर मऊ, यूपी	-	-	-	-	-	-	-	-
127	पी ए यू, लुधियाना	5,218	-	5,218	-	20,000	-	79,984	(54,766)
128	कार्यक्रम समन्वयक, डी डब्ल्यू आर, करनाल	-	-	-	-	-	-	-	-
129	पी डी के वी, अकोला पूर्व कुलपति, पश्चिम बंगाल, सी ए डी सी, कोलकाता	360,000	-	360,000	-	80,000	-	-	440,000
130	प्रधान निदेशक, खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास विभाग, तदौग	160,000	-	160,000	-	-	-	-	160,000
131	रास ए आर केंबीके, बिरौड़	-	-	-	-	-	-	-	-
132	केंबीके पश्चिम मिदनापुर	-	-	-	-	-	-	-	-
133	केंबीके इलकोटी, कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-
134	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, शारदापुर, बारमती	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
135	केंबीके अहमदनगर	-	-	-	-	-	-	-	-
136	केंबीके अमरावती	-	-	-	-	-	-	-	-
137	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, जलना	1,054	-	1,054	-	-	-	-	1,054
138	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, धलाई	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
139	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, इरोड, तमिल नाडु	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
140	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, इटुक्की, केरल	-	-	-	-	-	-	-	-
141	केंबीके, जयपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
142	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के कुरुनूल	79,576	-	79,576	-	-	-	-	79,576
143	केंबीके, सुत्तार, कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-
144	केंबीके, तिरुवल्ला केरल	-	-	-	-	-	-	-	-
145	केंबीके, उदयपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
146	केंबीके, विवेकानंदपुरम	1,422	-	1,422	-	-	-	-	1,422
147	केंबीके, पश्चिम त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-
148	उपासी- केंबीके, नीलगिरी	-	-	-	-	-	-	-	-
149	केंबीके, माजगवन, सतना	-	-	-	-	-	-	-	-
150	परियोजना निदेशक, पुष्पविज्ञान निदेशालय, आई ए आर आई, नई दिल्ली	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000

223	नियंत्रक, एनएच, गुजरात (केवीके), नवसारी, नर्मदा	150,377	287,045	136,668	-	-	-	-	136,668
224	सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनोमी, बारमर	-	21,447	21,447	-	-	-	-	21,447
225	नियंत्रक, वनस्थली विश्वविद्यालय, टोंक	-	3,225	3,225	-	-	-	-	3,225
226	लोक भारती ग्रामीण विद्यापीठ, सनोसाय, भावनगर	-	32,220	32,220	-	-	-	-	32,220
227	अम्बूजा सीमेंट फाउंडेशन, कोडीनार	-	32,950	32,950	-	-	-	-	32,950
228	मेहसाना जिला शिक्षा फाउंडेशन, कोडीनार	-	-	-	-	-	-	-	-
229	मंगल भारती, स्थान एवं डाकघर गोलामामदी, वड़ोदरा, गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-
230	सेक्टर फार रूरल डेवलपमेंट एंड एन्वायरमेंट, मोपाल - सेहोर	-	500	500	-	-	-	-	500
231	अध्यक्ष, दीनदयाल कृषि विकास एवं अनुसंधान समिति, मोपाल डीकेवीएएस	-	-	-	-	-	-	-	-
232	अध्यक्ष, केएच पाटिल, एग्रीकल्चरल साइंसिस फाउंडेशन, गदगा (हुलकोटी)	-	38	38	-	-	-	-	38
233	पूर्व सचिव, मर्यादा, बंगलुरु - इरोड	-	80,000	80,000	-	-	-	-	80,000
234	अध्यक्ष, टीआरडीएफ, देवनगरी, कर्नाटक (कडलीवन)	-	-	-	-	-	-	-	-
235	निदेशक मित्रानिकेतन, वेल्लानाद, तिरुवनंतपुरम (मित्रानिकेतन)	-	-	-	-	-	-	-	-
236	अध्यक्ष, कृषिचयन एजेंसी फॉर रूरल पेटनामहिता डेवलपमेंट, तिरुचल्ला - कोलम्बोगम सीएफआरएपीडी	-	80,000	80,000	-	-	-	-	80,000
237	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, रंथेजा	-	-	-	-	-	-	-	-
238	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, एएमबीएचईटीआई	-	3,475	3,475	-	-	-	-	3,475
239	एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, बारमती, पुणे - शारदा नगर	-	-	-	-	-	-	-	-
240	मराठावाड़ा शैली सहाय मंडल, औरंगाबाद - जलगा	-	158,946	158,946	-	-	-	-	158,946
241	श्रान साधना अमरवती (बादनेरे) (दुर्गापुर)	-	-	-	-	-	-	-	-
242	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा निलायम, विलोड (आरएएसएस)	-	-	-	-	-	-	-	-
243	सचिव, जेएएसएस महाविद्यापीठ, मैसूर (सुसूर)	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000
244	सचिव, श्री अग्निशालिगम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ होम साइंस, कायम्बतूर (विवकानंदपुरम) एएसएआईएचईएचसी	-	78,578	78,578	-	-	-	-	78,578
245	कृषि निदेशक, भारत सरकार, पणजी (दक्षिण गोआ)	-	53,270	53,270	-	-	10,000.00	-	43,270
246	कृषि निदेशक मॉडिचिरी	-	80,000	80,000	-	-	-	-	80,000
247	महासचिव, यूपीएएसआई, कून्नूर, नीलगिरी	-	3,452	3,452	-	-	-	-	3,452
248	अध्यक्ष, बापूजी सेवक समाज, कुमिली	-	-	-	-	-	-	-	-
249	नागालैंड विश्वविद्यालय, जुन्हेबोतो	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000
250	सेम डिंगिबोटम इंस्टीट्यूट ऑफ एपी, टेक एण्ड साइ. इलाहाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-
251	केएसआर कॉलेज ऑफ टैकनोलॉजी, तिरुचेंगोडै, तमिल नाडु	-	-	-	-	-	-	-	-
252	एनआईएमएस एंड एमएसजीएफजीओआई मंत्रालय, हैदराबाद	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000
253	रजिस्ट्रार, अमिटी यूनिवर्सिटी, नाएडा	-	80,000	80,000	-	-	-	-	80,000
254	केवीके, स्काडा, भोजपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
255	यूएसएस, बंगलुरु	-	430,000	430,000	-	-	200,000	-	430,000
256	निदेशक, बागोदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपी एण्ड टेक, इलाहाबाद	-	80,000	80,000	-	-	-	-	80,000
257	दीनदयाल शांभ संस्थान, केवीके, प्रायोजित	-	160,000	160,000	-	-	-	-	160,000
258	अध्यक्ष, नवभारत शिक्षा और सामाजिक अनुसंधान संस्था	-	80,000	80,000	-	-	-	-	80,000

299	बोटेनी डिपार्टमेंट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-	-
300	एसआरएमआर कॉम्प्लेक्स (आरटीजीएस)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-	-
301	बीएचू शिक्षा निदेशालय, साबौर, भागलपुर	-	-	-	-	160,000	-	160,000	-	-
302	इण्डियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लान्ट ब्रीडिंग	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-	-
303	आईसीएआर यूनिट-आईआईएमआर हैदराबाद	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-	-
304	मिजोरम विश्वविद्यालय	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-	-
305	7वीं इण्डियन हॉर्टिकल्चर कांग्रेस 2016	-	-	-	-	80,000	-	-	-	80,000
306	सोसाइटी फॉर प्लान्ट रिसर्च, मेरठ	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-
307	भारत प्रकाशन दिल्ली लिमिटेड	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-
	योग	35,209,568	6,686,922	28,522,646	50,000	17,712,267	332,749	14,861,209		31,090,955

जय प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह
 विलीयम सलाहाकार
 पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
 एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी.अग्रवाल
 महा पंजीकार
 पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
 एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष
 पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
 एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बाहरी व्यक्तियों को पेशगियां									
क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2016 को आदिशेष	पिछले वर्ष का व्यय	भीतरी/बाहरी हस्तांतरण	2016-17 के दौरान जारी राशि	2016-17 के दौरान व्यय	धन वापसी	31.03.2017 को अंत शेष	
1	एशियन एग्री-हिस्ट्री फाउंडेशन ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	
2	निदेशक जीपीओ, नई दिल्ली	-	-	-	100,000	100,000	-	-	
3	एनशोर सपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	
4	फ्रैंकिंग मशीन जीपीओ	-	-	-	-	-	-	-	
5	इंडियन सोसायटी ऑफ सीड स्पाइसिस, अजमेर	-	-	-	-	-	-	-	
6	लैकसिस नैकसिस	-	-	-	-	-	-	-	
7	नेशनल इश्योरेंस लिमिटेड	-	-	-	5,945	5,945	-	-	
8	एनएनएस इवेंट्स एंड एक्जीक्यूटिव प्राइवेट लिमिटेड	148,652.00	-	3,312.00	162,288	-	164,880.00	149,372.00	
9	पेटेंट एण्ड ट्रेडमार्क केसिस, दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	
10	सहारा नेट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	303,908	-	-	-	-	-	303,908.00	
11	साधिव, भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली	-	-	-	60,000	-	-	-	
12	स्वामी पब्लिशर्स	-	-	-	-	-	-	-	
13	यूएएस, बंगलुरु	-	-	-	-	-	-	-	
14	जेडपीडी अंचल-3, भा.कृ.अ.प., ओम्पियम, मेघालय	50,000	-	-50,000	-	-	-	-	
15	एमपीकेवी राहुरी	-	-	-	-	-	-	-	
16	महबूब सिंह बहादुर सिंह जैन ज्वेलर	-	-	-	29,240	29,240	-	-	
17	इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नोनी साइंस, वेल्सई	50,000	-	-	-	-	-	50,000.00	
18	अधिकाधी अभियंता (ई), ईडी-11, सीपीडब्ल्यूडी	-	-	-	337,281	195,560	-	141,721.00	
19	सहायक निदेशक, एस्टेट (नकद), नई दिल्ली	-	-	-	101,500	101,500	-	-	
20	केशव संवाद	-	-	-	200,000	-	-	200,000.00	
21	पी नारायण उन्नी	-	-	-	40,399	40,399	-	-	
22	गोदरेज एंड बोयसी एमफजी को लिमिटेड	-	-	-	95,722	-	-	95,722.00	
23	नकद लेखाधिकारी डीएपीपी	-	-	-	10,200	-	-	10,200.00	
24	मैसर्स जैन बुक डिपो	-	-	-	13,500	-	-	13,500.00	
25	निदेशक आईएआरआई, नई दिल्ली (जीन निधि)	-	-	-	45,000	-	-	45,000.00	
	योग	552,560	-	-46,688	1,201,075	532,644	164,880	1,009,423	

ज.पी. सिंह
वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/10/22
आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

New page ad Mail

अदा की गई वैधानिक देयताएं

क्र.सं.	विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	राशि
1	सी जी ई जी आई एस	1,445	3,130	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	-	1,165	2,330	1,165	-	15,060
2	जी पी एफ - 108/02	52,000	104,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-	50,000	100,000	50,000	-	606,000
3	सी पी एफ	16,000	32,000	16,000	16,000	45,000	108,000	185,000	-	16,000	32,000	16,000	-	482,000
4	टीडीएस - ठेकेदार	32,583	21,056	24,834	28,774	5,259	54,260	27,233	15,327	25,855	87,522	25,768	23,056	371,527
5	टीडीएस - व्यवसायविद	36,468	7,286	710	-	2,748	4,439	-	6,902	5,520	28,842	8,280	29,844	131,039
6	टीडीएस - वेतन	96,000	100,000	114,432	116,000	111,000	236,736	111,000	124,727	246,000	507,000	261,281	-	2,024,176
7	एन पी एस	102,304	255,322	127,126	130,284	146,660	277,064	150,300	-	134,336	268,672	134,336	-	1,726,404
8	व्यवसाय कर	208	416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
	योग	337,008	523,210	334,267	342,223	361,832	731,664	524,698	146,956	478,876	1,026,366	496,830	52,900	5,356,830

जय प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/10/22

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/10/22

बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

अनुबंध ड/ख
राशि, रुपयों में

अन्य भत्ते

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	लाइसेंस फीस	37,560
	योग	37,560

जय प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/10/22

आर.सी.अग्रवाल

महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र


अध्यक्ष


पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


अनुबंध ढ
राशि, रुपयों में

प्रशिक्षण केन्द्रों से पेशगी वापसी

क्र.सं.	प्रशिक्षण केन्द्रों का नाम	प्राप्त राशि
1	एमपीयूए एंड टी, उदयपुर	14,415
2	सी आर आर आई, कटक	10,275
3	आईसीएआर काम्प्लैक्स, ओल्ड गोवा	80,000
4	भारतीय तिलहन अनसंधान संस्थान, हैदराबाद	8,440
5	एनएयू नवसारी, गुजरात	48,195
6	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, आईसीएआर जोन-III, बारापानी, मेघालय	57,065
7	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, आईसीएआर जोन-IV, जोधपुर	56,565
8	कृषि निदेशालय, भारत सरकार, पणजी (दक्षिण गोवा)	10,000
9	यूथ फॉर एक्शन, सिकन्दराबाद	3,590
10	रजिस्टर आईआईएस विश्वविद्यालय	24,866
	योग	313,411


जे.पी. सिंह
वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

अनुबंध-न
राशि, रुपयों में

स्टाफ से पेशगी वापसी		
क.सं.	लाभार्थी का नाम	प्राप्त राशि
1	डीडीओ	402,674
2	डी एस राजगणेश	15,549
3	डीडीओ पीपीवी एफआरए (जीन निधि)	190,716
	योग	608,939

ज.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/10/22

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी-2/10/22

बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

अनुबंध -ओ
राशि, रुपयों में

संदर्भ किस्मों के रखरखाव से पेशगी वापसी		
क.सं.	प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम	वापिस प्राप्त हुई राशि
1	डीजीआर (मृगफली अनुसंधान निदेशालय), जूनागढ़	82,550
2	एनआरसीएसएस (राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र), अजमेर	65,500
	योग	148,050

जस प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएसएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/10/22

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएसएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी-2/प्रम्वर

बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएसएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पीपीवी और एफआरए की प्रमुख लेखा नीतियां

1. लेखाकरण प्रणाली

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखाकरण प्रणाली के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं जो भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी अनिवार्य लेखा मानकों के संदर्भ में लागू होते हैं तथा लेखा महानियंत्रक द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए प्रस्तुत करने आवश्यक हैं। प्राधिकरण आय व व्यय की सभी मदों के संबंध में लेखे की निर्धारित विधियों को अपनाती है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2. अचल सम्पत्तियां

- क) अचल सम्पत्तियों का लेखा तब रखा जाता है जब उचित निरीक्षण के पश्चात् उन्हें प्रभार में लिया जाता है।
- ख) अचल सम्पत्तियों की लागत कुल मूल्यह्रास को घटा कर लगाई जाती है। लागत में खरीद मूल्य, मालभाड़ा, शुल्क तथा कर और कोई भी प्रत्यक्ष ऐसी लागत आती है जो परिसम्पत्तियों को लाने में लगी हो या उसे कार्यशील बनाने में व्यय की गई हो। अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने/उनके निर्माण से संबंधित वित्तीय लागत को भी इस प्रकार शामिल किया जाता है कि वे उस अवधि से संबंधित हो जिस अवधि तक परिसम्पत्तियां अपने अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होती हों।
- ग) गैर-आर्थिक अनुदानों से प्राप्त अचल सम्पत्तियों का पूंजीकरण पूंजी आरक्षण में नामे किए गए मूल्य पर किया जाता है। निशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त की गई अचल सम्पत्तियों को 1 रुपये के नाममात्र मूल्य पर लेखाकृत किया जाता है।


ज.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


2/10/17

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

3. मूल्यह्रास

- क) मूल्यह्रास आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराए गए मूल्य पर लिखा जाता है।
ख) 5000/-रु. और इससे कम की लागत वाली अचल सम्पत्तियों की प्रत्येक मद को उनके अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित मान लिया जाता है।

4. पट्टेदारी

पट्टेदारी किराए पट्टेदारी की शर्तों के अनुसार अदा किए जाते हैं।

5. परिसम्पत्तियों की क्षति

परिसम्पत्तियों में क्षति तब मानी जाती है जब परिसम्पत्तियों की लागत उनकी वसूली मूल्य से अधिक हो जाती है। यह क्षति उस वर्ष के आय व व्यय के विवरण में दर्ज की जाती है जिस वर्ष परिसम्पत्ति को क्षतिग्रस्त पहचाना जाता है। क्षति संबंधी हानि को लेखा अवधि से पहले पहचाना जाता है और इसे अनुमानित या वसूली योग्य राशि के प्रभार के रूप में दर्ज किया जाता है।

6. फुटकर व्यय

आगे लाया गया राजस्व व्यय, जिस वर्ष हुआ है उस वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

7. सरकारी अनुदान/योगदान

- (क) एकमुश्त अनुदान सहायता पूंजी या राजस्व और वेतन के रूप में होने वाले सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त होती है। अनुदान सहायता से सृजित ह्रासशील परिसम्पत्तियों की लागत को 'कॉर्पस/पूंजीगत निधि' के खाते में दर्ज किया जाता है। उन परिसम्पत्तियों पर भी मूल्यह्रास कॉर्पस/पूंजीगत निधि के विरुद्ध लिया जाता है जो उस परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन के समाप्त होने के

जस प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/10/22

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बाद होते हैं तथा इन्हें आय तथा व्यय लेखे में आय के अंतर्गत रखा जाता है। राजस्व व्यय से अधिक अनुदान की शेष राशि को वर्ष के अंत में कॉर्पस/पूँजी निधि में हस्तांतरित किया जाता है। डीयूएस केन्द्रों तथा अन्य को अनुदान सहायता/अनुदान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद दिए जाते हैं तथा निर्धारित फॉर्मेट में लेखापरीक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें पेशगी के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। ये प्रमाण पत्र संबंधित डीयूएस केन्द्रों/अन्य से प्राप्त होने चाहिए। वास्तविक व्यय को डीयूएस केन्द्रों/अन्य लेखों के अंतर्गत अनुदान सहायता में नामे किया जाता है जो अग्रिम लेखे के रूप में होता है तथा पेशगी की शेष बची राशि वर्ष के अंतिम दिन अनप्रयुक्त अनुदान के रूप में बनी रहती है।

(ख) जिन मामलों में केन्द्र उपयोग प्रमाण पत्र लेखों को अंतिम रूप देने के पश्चात् उसके पूर्व के वर्षों में प्रस्तुत करता है, उन मामलों में व्यय को संबंधित चालू वर्ष में लेखाकृत किया जाता है तथा इसे पूर्वावधि समायोजन लेखा के रूप में लेखाकृत किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

(ग) यदि वास्तविक व्यय की गई राशि अदा की गई पेशगी राशि से अधिक है, प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर व्यय की गई अतिरिक्त राशि के लिए आवश्यक दायिता सृजित की गई है और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से राशि जारी की गई है तथा इस प्रकार किए गए अतिरिक्त व्यय को तर्कसंगत नहीं पाया गया है तो सृजित दायिता को वापस ले लिया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन, लेन-देन की तिथि को मौजूद विनिमय दर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं।

9. सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ

क) नई पेंशन योजना के वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा अदा किए गए/अदा जाने वाले योगदानों को आय और व्यय के विवरण में दर्ज किया जाता है।

जय प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/10/22

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

ख) ग्रेच्युटी संबंधी दायिताओं को वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है और इसे वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता है।

ग) कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण के लिए दी जाने वाली देयता वास्तविक आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है जो वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित होती है।

10. कर-निर्धारण

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 91 के अंतर्गत प्राधिकरण को अपनी संपत्ति, आय, लाभ या प्राप्तियों के लिए किसी प्रकार का संपत्ति कर, आय कर या अन्य कोई कर अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

किसी नाप में अनुमान की पर्याप्त मात्रा से संबंधित प्रावधानों को तब लागू किया जाता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान में ऐसा करना आवश्यक हो और यह संभावना व्यक्त की गई हो कि संसाधन फालतू हो सकते हैं। आकस्मिक देयताओं को पहचाना नहीं जाता है बल्कि लेखे के एक भाग के रूप में टिप्पणियों में दर्ज किया जाता है। आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो पहचाना जाता है और न ही उनका खुलासा किया जाता है।

12. आय और व्यय

इस पैराग्राफ के अंत में बताए गए विवरण के अतिरिक्त वर्ष के सभी आय और व्यय को वास्तविक आधार पर लेखे के विशिष्ट और प्रत्यक्ष शीर्षकों में लेखाकृत किया जाता है।

क) पिछले वर्षों का ऐसा आय अथवा व्यय जो प्रावधान करने/देयता सृजित करने में हुई एक या इससे अधिक पूर्व अवधियों के दौरान हुई त्रुटियों या गलतियों के परिणामस्वरूप हुए हों, इन्हें 'पूर्व अवधि समायोजन' लेखे के अंतर्गत लेखाकृत किया जाता है।'

जय प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआर, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/10/22

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआर, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष
पीपीवी और एफआर, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

- ख) यदि वास्तविक व्यय अथवा आय अनुमानित आधार पर किए गए सृजित देयता/प्रावधान से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है।
- ग) प्राधिकरण द्वारा वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने के बाद की तिथि में लिए गए निर्णय के कारण और किसी अति विशिष्ट मद पर हुए आय/व्यय को, यदि कोई है तो तत्कालीन प्रभाव से नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है।
- घ) तुलन-पत्र में किसी मद के लेखाकरण उपचार या खुलासे की विधि का पता लगाने में भौतिकता की संकल्पना पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। अतः 1000/-रु. तक की प्रत्येक मद के लिए पहले से अदा किए गए/पूर्व अवधि को नकद आधार पर लेखे के प्राकृतिक शीर्षों में दर्ज किया जाता है।

13. राजस्व पहचान


- क) आवेदन/पंजीकरण हेतु शुल्क, समय बढ़ाने तथा किसी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन से विरोध संबंधी और योगदान संबंधी नोटिस के लिए दिया जाने वाला समय तथा उससे होने वाली आय को प्राप्ति के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- ख) (i) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान तथा उसके बाद प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क को उस वर्ष में प्राधिकरण की आय माना जाएगा जिस वर्ष यह प्राप्त होती है।
- (ii) 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क तथा अदा की गई अग्रिम राशि को और संबंधित डीयूएस परीक्षण केन्द्र को अदा की गई 50 प्रतिशत अग्रिम राशि को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा प्रत्येक मामले में अब तक प्राप्त की गई रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और अग्रिम राशि की शेष बची 50 प्रतिशत राशि को संबंधित डीयूएस केन्द्रों को देने की बजाय प्राधिकरण की आय माना जाएगा। इसके साथ ही प्राप्त किए गए कुल डीयूएस परीक्षण शुल्क में प्राधिकरण के 30 प्रतिशत हिस्से को भी आय माना जाएगा। जिन मामलों में परीक्षण रिपोर्ट न प्राप्त हुई हो वहां राशि को परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर समायोजित किया जाएगा।


ज.पी. सिंह

वित्तीय सलाहकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


2/10/2013

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

- ग) प्रजनकों से लाभ में भागीदारी और क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की गई राशि को देयता के रूप में माना जाता है जो दावेदारों को देय दायिता के रूप में तब माना जाता है जब ऐसी राशि प्राप्त होती है।
- घ) पेशगी प्राप्त किया गया पीवीजे का चंदा अगले वित्तीय वर्ष में पूर्व अदा किए गए लेखे के रूप में दर्ज किया जाता है।
- ङ.) ब्याज से हुई आय को बकाया राशि तथा लागू दरों के अनुसार समय अनुपात आधार पर दर्ज किया जाता है।

14. पृथक खुलासा

निम्न के संबंध में आय तथा व्यय लेखे में पृथक से खुलासे किए जाते हैं :

- क) 'पूर्व अवधि में' वाली वे मदें जो ऐसे आय अथवा व्यय का हिस्सा होती हैं जो एक या इससे अधिक की पूर्व अवधियों में वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय त्रुटियों या भूलों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में उत्पन्न हुई हो।
- ख) 'अति-असामान्य' मदें जो उस आय या व्यय की भौतिक मदें होती हैं जो ऐसी घटनाओं या लेन-देनों से उत्पन्न होती हैं जो सामान्य क्रियाकलापों से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं, अतः इन्हें जल्दी-जल्दी या नियमित रूप से घटित होने की अपेक्षा नहीं की जाती है।
- ग) 'फुटकर आय' शीर्ष के अंतर्गत कोई भी ऐसी मद जो प्राधिकरण की सकल आय के 1 प्रतिशत अथवा 50,000 / -रु., इनमें से जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो, उसे आय तथा व्यय के लेखे में उचित लेखाशीर्ष में दर्शाया जाता है।
- घ) 'फुटकर व्यय' के शीर्ष के अंतर्गत कोई भी ऐसी मद जो प्राधिकरण की सकल आय के 1 प्रतिशत अथवा 50,000 / -रु., इनमें से जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो, उसे आय तथा व्यय के लेखे में उचित लेखा शीर्ष में अलग से दर्शाया जाता है।

जय प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

21/02

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

अनुसूची 25


31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

- (i) उन आवेदकों का शुल्क वापस करने के मामले में प्राधिकरण के विरुद्ध एक संबंधित मुकदमे में जो आवेदकों ने राजपत्र अधिसूचना के पूर्व दायर किया था और जिसकी राशि 29.15 लाख रुपये के लगभग बताई गई है, माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे शुल्क को वापस करने का निर्णय किया है। तथापि, प्राधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।
- (ii) कर्मचारियों/पक्षों द्वारा दाखिल किए गए दावों/न्यायालय मुकदमों के संदर्भ में देयता की मात्रा जांचने योग्य नहीं होती है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता


पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के पोर्टल का डिज़ाइन तैयार करने और विकास के लिए सहारा नेक्स्ट कारपोरेशन को 26.04.2012 को 12,15,633/- रु. (1,33,724/- रु. के सेवा कर सहित) की राशि का आपूर्ति आदेश दिया गया था। तथापि, वर्ष 2012-13 के दौरान कुल लागत का 25 प्रतिशत अर्थात् 3,03,908/- रुपये की कुल राशि अदा की गई शेष 9,11,725/- रुपये का 75 प्रतिशत दिनांक 31.03.2017 को अदा की जानी है क्योंकि पोर्टल की डिजाइनिंग और उसका विकास एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और इसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र एनआईसी के आंकड़ा केन्द्र पर परीक्षण, होस्टिंग और कार्यान्वयन संबंधी तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करना होता है। तथापि, मैसर्स सहारा नेक्स्ट कारपोरेशन लिमिटेड को सौंपे गए सॉफ्टवेयर संबंधी कार्य की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। इस प्रकार, पूंजी लेखे पर प्रतिबद्धताओं को 31.3.2017 को 9,11,725/- रुपये की राशि के संदर्भ में उपलब्ध नहीं कराया गया है।


जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआर, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


2182

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआर, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष
पीपीवी और एफआर, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

3. पट्टे संबंधी देनदारियां

- (क) एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गांव के निकट, नई दिल्ली स्थित प्राधिकरण की कार्यालय इमारत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राधिकरण द्वारा मासिक किराया 22,459 की दर से किराए पर ली गई है।
- (ख) गुवाहाटी तथा रांची स्थित शाखा कार्यालयों के लिए गुवाहाटी में इमारत कार्यालय हेतु असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (एएयू) से 30.12.2011 को 60,000 रु. प्रति वर्ष की दर से किराये पर लेने से संबंधित एक पट्टादारी समझौता लागू किया गया है और इसी प्रकार रांची में 50,000 रु. प्रतिवर्ष की दर से कार्यालय इमारत के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची के साथ 01.09.2012 को एक पट्टा समझौता लागू किया गया है।
- (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने पत्र सं. 2(2)/2007 सी पीटी/ईसी दिनांक 24.01.2011 को 28.04.2011 से 30 वर्ष के लिए पट्टे के आधार पर हरभजन इन्कलेव, पूसा परिसर, नई दिल्ली के निकट 10,480 वर्ग मी. भूमि पीपीवी और एफआरए को आबंटित की है। यह अवधि आपसी समझौते पर और भी बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में 11 नवम्बर 2013 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ.सं.)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) के बीच 1 रु. प्रति वर्ष किराये की नाम मात्र दर पर एक लीज डीड लागू की गई है।

4. प्राधिकरण भवन का निर्माण

12वीं पंचवर्षीय योजना के ईएफसी ज्ञापन में पीपीवी और एफआरए के हिस्से के रूप में पौधा किस्म भवन निर्माण हेतु प्रावस्था के आधार पर 62.67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हरभजन सिंह इन्कलेव, नई दिल्ली के निकट मौजूद 10,480 वर्ग मी. भूमि पट्टे के आधार पर पीपीवी और एफआरए को हस्तांतरित की गई है। सभी कोडल औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्राधिकरण ने ईमारत निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की है और आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त कर ली हैं। इस दौरान योजना आयोग ने प्रस्तावित पौधा किस्म भवन में एनआरएए व डीएसी को समायोजित करने की संभावना तलाशने के लिए यह मामला कृषि एवं सहकारिता विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया है। अतिरिक्त तलों के निर्माण की संभावना को तलाशने के लिए 24 अगस्त 2012 को डीएसी, एनआरएए, पीपीवी और एफआरए तथा यूपीआरएनएन के अधिकारियों के बीच एक सम्मिलित बैठक आयोजित हुई। बैठक के कार्यवृत्त

जय प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/10/12

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि तीन अतिरिक्त तल तथा एक भूमिगत तल निर्मित किया जाएगा जिसमें से 2 तल एनआरएए और एक तल कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए होगा। ईमारत के क्षेत्र तथा लागत में साझीदारी के लिए पीपीवी और एफआरए तथा राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) के बीच 07.04.2014 को एक समझौता ज्ञापन लागू किया गया।

इस समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार दो तलों के निर्माण की लागत, भूमिगत तल के निर्धारित भाग व अन्य सामान्य सुविधाओं पर होने वाले व्यय को निर्मित क्षेत्र पर प्रोरेटा के आधार पर राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा। पीपीवी और एफआरए ने नीलामी, ड्राइंग तैयार करने और आकलन आदि जैसी प्रक्रियाओं पर अभी तक जो भी कार्य किया है वह पुनः किया जाएगा तथा डिजाइनों, ड्राइंगों, आकलन की बोली से संबंधित दस्तावेजों, संशोधित अनापत्तियों आदि पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा। पीपीवी और एफआरए ने इमारत के निर्माण के आरंभिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए 5 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त कर ली है। इसलिए ले आउट प्लान को पुनः तैयार करने में होने वाला व्यय का दावा जो 187.40 लाख रुपये है और जिसे यूपीआरएन लिमिटेड ने किया है, उस राशि का भुगतान एनआरएए द्वारा किया जाएगा। समझौता ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि इमारत का निर्माण पूरा होने के बाद वार्षिक सामान्य रखरखाव तथा अनुरक्षा संबंधी व्यय में इमारत के निर्मित क्षेत्र पर प्रोरेटा आधार पर एनआरएए की भी हिस्सेदारी होगी।

5. अचल सम्पत्तियां

भौतिक परिसंपत्तियों के सत्यापन के लिए 31.03.2017 को प्रबंधन द्वारा एक टीम गठित की गई। यह बताया गया है कि वहाँ परिसंपत्तियों में कोई कमी/अधिकता नहीं पायी गई।

जय प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/10/22

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

6. चालू सम्पत्तियां, ऋण तथा पेशगियां

- (क) पूर्व अध्यक्ष के अंशदान भविष्य निधि के रूप में कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार से प्राप्य 45,000/- रु. की राशि पेशगी के रूप में दर्शायी गई है। मंत्रालय के अनुदेशों पर अध्यक्ष का अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) बंद कर दिया गया तथा इस राशि को प्राधिकरण द्वारा जमा करा दिया गया है और मंत्रालय द्वारा प्राप्त कर लिया गया है जिसके लिए मंत्रालय से अनुरोध किया गया है लेकिन वापसी की प्रतीक्षा की जा रही है।
- (ख) 2008-09 से 2012-13 की अवधि के पूर्व डीयूएस परीक्षण शुल्क के रूप में 3,16,12,000 रुपये और अदा की गई 15,66,500 रुपये की पेशगी राशि की देयता का समायोजन अभी होना बाकी है क्योंकि प्राप्त किए गए डीयूएस परीक्षण शुल्क के अलग-अलग मामलों तथा संबंधित डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को अदा की जाने वाली पेशगियों को एक साथ जोड़ते हुए डीयूएस परीक्षण रिपोर्टों की तिथि से उनके द्वारा प्राप्त होने वाली राशि को समायोजित होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
- (ग) डीयूएस केन्द्रों में पेशगियों के रूप में 01.04.2016/- को आदिशेष 4,82,09,595 रु. था और वर्ष 2016-17 में विभिन्न डीयूएस केन्द्रों को 4,71,31,161/- रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2016-17 के लिए 3,01,07,890/- रुपये के और वर्ष 2015-16 के लिए 1,47,35,920/- रुपये की राशि के उपयोग प्रमाण-पत्र तथा वर्ष 2016-17 के लेखों के बंद होने तक प्राप्त किए गए। शेष 5,82,12,647 रु. की राशि 31.03.2017 को बकाया है क्योंकि संबंधित डीयूएस केन्द्रों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होना बाकी है - **अनुबंध ख और ग।**
- (घ) दिनांक 01.04.2016 को आदिशेष के रूप में नए डीयूएस केन्द्रों को दी गई पेशगी की राशि 1,63,33,495/- रु. थी तथा वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न डीयूएस केन्द्रों को 1,12,25,966/- रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2016-17 के लेखों के बंद होने तक वर्ष 2016-17 के लिए 44,95,000/- रुपये और वर्ष 2015-16 के लिए 33,66,214/- रुपये की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा 1,77,59,580/- रुपये की राशि 31.03.2017 को बकाया है क्योंकि संबंधित नए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने बाकी हैं - **अनुबंध घ व ङ।**
- (ङ.) दिनांक 01.04.2016 को संदर्भ प्रयोगशालाओं को दी गई पेशगी की राशि 22,61,611/- रु. आदिशेष के रूप में 31.03.2017 को बकाया थी क्योंकि संबंधित संदर्भ प्रयोगशालाओं से राशि की वापसी या उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए थे - **अनुबंध च।**

जस प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


2/10/22

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


- (च) दिनांक 01.04.2016 को आदिशेष के रूप में फील्ड जीन बैंकों को दी गई पेशगी की राशि 10,64,102/- रु. थी तथा वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न फील्ड जीन बैंकों को 35,24,952/- रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2016-17 के लेखों के बंद होने तक वर्ष 2016-17 के लिए 16,21,091/- रुपये और वर्ष 2015-16 के लिए 7,01,430/- रुपये की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा 19,15,352/- रुपये की राशि 31.03.2017 को बकाया है क्योंकि संबंधित नए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने बाकी हैं - **अनुबंध छ एवं ज**।
- (छ) दिनांक 01.04.2016 को आदिशेष के रूप में विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों को दी गई पेशगी की राशि 3,52,09,568/- रु. थी तथा वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों को 1,77,12,267/- रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2016-17 के लेखों के बंद होने तक वर्ष 2016-17 के लिए 1,48,61,209/- रुपये और वर्ष 2015-16 के लिए 66,86,922/- रुपये की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा 3,10,90,955/- रुपये की राशि 31.03.2017 को बकाया है क्योंकि संबंधित प्रशिक्षण परीक्षण केन्द्रों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने बाकी हैं - **अनुबंध झ**।
- (ज) वर्ष के दौरान कुछ डीयूएस परीक्षण/परियोजना केन्द्रों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय से संबंधित प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्रों के अनुसार अगले वर्ष के लिए समायोजित निधियों से 23,50,018/- रुपये अधिक था। चूंकि यह अतिरिक्त व्यय चालू वर्ष से संबंधित है, अतः वांछित देयता सृजित की गई है जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी और यदि किया गया अतिरिक्त व्यय तर्कसंगत नहीं पाया गया तो सृजित की गई देयता को वापस ले लिया जाएगा।
- (झ) कुछ मामलों में पेशगियों को अस्थाई उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर समायोजित किया गया है इसके अलावा बकाया पेशगियों को डीयूएस केन्द्र/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पुष्ट किए जाने पर समायोजित किया जाएगा।
- (ञ) डीयूएस केन्द्रों, नए डीयूएस केन्द्रों, फील्ड जीन बैंकों, संदर्भ प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों से वर्ष 2016-17 के लिए उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्तियों के लंबित होने के कारण संस्थाओं/संगठनों को अनुदान के विरुद्ध व्यय के लिए एकमुश्त देने का प्रावधान किया गया है तथा प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम के लिए निर्धारित क्रमशः 2,41,60,000/- और 29,11,000/- रुपये की राशि को आकलित आधार पर पूर्व प्रवृत्ति के अनुसार समायोजित किया गया है।


ज.पी. सिंह
वित्तीय सलाहकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र
अध्यक्ष

पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

(ट) वार्षिक शुल्क को फसल किस्म के पंजीकृत होने की तिथि से एक वर्ष पूरे होने पर बकाया माना गया है। तदनुसार प्राय वार्षिक शुल्क, पहले से प्राप्त व वापसी योग्य राशि को 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार लेखाकृत किया गया है। किसी भी वार्षिक शुल्क को उस स्थिति में प्राप्त नहीं माना गया है जब वार्षिक शुल्क की बकाया तिथि के पहले पंजीकृत किस्म की वैधता की अवधि समाप्त हो गई हो। इसके अतिरिक्त राजपत्र अधिसूचना दिनांक 26 अगस्त 2009 के अनुसार प्रजनकों या एजेंट या लाइसेंसी को पंजीकृत किस्म के बीजों के बिक्री मूल्य और रायल्टी के कुछ प्रतिशत भाग को अदा करने की अपेक्षा की जाती है। बकाया राशि के लिए आय का लेखाकरण इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि प्रजनकों या एजेंटों और लाइसेंसों से बिक्री मूल्य का विवरण प्राप्त नहीं हुआ था और इन मामलों में वांछित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। यदि कोई प्रजनक/एजेंट या लाइसेंसी लगातार दो वर्षों के दौरान शुल्क जमा करने में असमर्थ हो जाता है तो एक नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है और यदि इस नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन न किया जाए तो सभी देय सुरक्षाएं जब्त कर ली हुई घोषित की जाती हैं।

7. कर-निर्धारण

पीपीवी और एफआरए 2001 की धारा 91 के अनुसार "प्राधिकरण को अपनी संपत्ति, आय, लाभ अथवा प्राप्तियों पर आयकर या कोई अन्य कर नहीं देना है" अतः वर्तमान और अदा की जाने वाली आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

8. उच्चत

मुख्यालय में 25,000/-रु., रांची कार्यालय में 52/-रु. तथा गुवाहाटी कार्यालय में 767/-रु. उच्चत राशि बकाया थी।

9. सरकारी अनुदान

भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक (एएस-12) के अनुसार द्वासमान परिसम्पत्तियों से संबंधित अनुमानों को इतर आय के रूप में माना जाता है जिसे परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान आय और व्यय लेखे में मान्यता प्रदान की जाती है। तदनुसार भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से

जय प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

वर्ष के दौरान खरीदी गई अचल सम्पत्तियों को कॉर्पस/पूजी निधि के रूप में जोड़ा गया है जिसकी राशि 48,036/- रुपये है और वर्ष के दौरान वसूला गया मूल्यदास 8,43,421/- रुपये है जो संबंधित आय और व्यय लेखे के नामे में से कॉर्पस निधि से घटा दिया गया है।

10. सेवानिवृत्ति लाभ


(क) ग्रेच्युटी : कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराई गई है जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा के कुल वर्षों पर निर्भर करती है तथापि, इसकी अधिकतम सीमा 10.00 लाख रुपये है। तुलन-पत्र में दर्शाई गई ग्रेच्युटी दायिता का सारांश इस प्रकार है:

	(रुपयों में)
(क) 01.04.2016 को देनदारी का वर्तमान मूल्य	21,00,158 /-
(ख) वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आय और व्यय लेखे में मान्यता प्राप्त व्यय	10,47,403 /-
(ग) 31.03.2017 को बाध्यता का वर्तमान मूल्य	31,47,561 /-

बीमांकित अवधारणाएं

बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार हैं :


प्रयुक्त की गई विधि - परिवीक्षित इकाई जमा विधि	
छूट की दर	7.37 प्रतिशत
वेतन में भावी बढ़ोतरी	5.50 प्रतिशत


ज.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


21/02/2017

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

(ख) छुट्टी नकदीकरण : कर्मचारियों द्वारा अर्जित छुट्टी संबंधी देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो वर्ष के अंत में अर्जित की गई छुट्टी, नकदीकरण, ली गई छुट्टी, समाप्त हो गई छुट्टी तथा प्रतिपूरक अनुपस्थिति के आधार पर निश्चित होती है। ऐसा सेवा में रहते समय अथवा सेवा को छोड़ते समय निर्धारित किया जाता है जो प्राधिकरण में एएस-15(आर) के अनुसार निर्धारित होता है।

31.03.2017 को प्रतिपूरित अनुपस्थिति सहित अर्जित की गई छुट्टी दायिता की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:

	(रुपयों में)
(क) दिनांक 01.04.2016 को देनदारी का वर्तमान मूल्य	23,35,942 / -
(ख) वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आय और व्यय लेखे में मान्यता प्राप्त व्यय	10,93,265 / -
(ग) 31.03.2016 को बाध्यता का वर्तमान मूल्य	34,29,207 / -


बीमांकित अवधारणाएं

बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार हैं :

प्रयुक्त की गई विधि - परिवीक्षित इकाई जमा विधि	
छूट की दर	7.37 प्रतिशत
वेतन में भावी बढ़ोतरी	5.50 प्रतिशत

11. विदेशी मुद्रा लेन-देन


प्राधिकरण ने द्विवर्षीय आईटीपीजीआईए के लिये भारतीय मुद्रा रूपये 34,27,949/- में यूएस डॉलर 52,279.44 का योगदान दिया। प्राधिकरण को चित्रकूट में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला व उसकी वित्तीय सहायता के लिये एफएओ की ओर से भारतीय मुद्रा रूपये 1,23,980/- प्राप्त हुए।


जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


2/10/22

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012


बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष
पीपीवी और एफआए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

12. पूर्वावधि समायोजन लेखा

वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न डीयूएस केन्द्रों, परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को दी गई पेशगियों का समायोजन वर्ष 2014-15 के लेखों को अंतिम रूप देने की तिथि तक प्राप्त हुए उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। वर्ष 2014-15 या इससे पूर्व की अवधि से संबंधित वर्ष 2016-17 को प्राप्त किए गए प्रमाण पत्रों को, पूर्वावधि व्यय शीर्षों के अंतर्गत लेखाकृत किया गया है। वर्ष 2015-16 से संबंधित जो उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2016-17 में प्राप्त हुए उन्हें प्रावधान के अंतर्गत समायोजित किया गया और प्रावधान से अधिक हुए व्यय को लेखे के प्रत्यक्ष शीर्ष के अंतर्गत लेखाकृत किया गया है। इसी प्रकार, गैर दायिता वाली पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय के लिए संबंधित वर्षों में कोई दायिता सृजित नहीं की गई तथा इन्हें भी पूर्व अवधि समायोजन लेखे में लेखाकृत किया गया है।

15. पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़े पुनर-समूहित/पुनर-वर्गीकृत किए गए हैं जो चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप हैं।

जय प्रकाश सिंह
जे.पी. सिंह

वित्तीय सलाहाकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

2/10/22

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012

बी. राजेन्द्र

अध्यक्ष
पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार
एनएएससी परिसर, नई दिल्ली-110012



कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit, (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/पी.पी.वी.एवं.एफ.आर.ए/9-23/2017-18/

दिनांक: 17.11.17

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय,
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001

विषय : वर्ष 2016-17 के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदया/महोदय,

मैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

भवदीया,

- हस्ता -

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)

✓ ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/पी.पी.वी.एवं.एफ.आर.ए/9-23/2017-18/1408

दिनांक: 17.11.17

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, एन.ए.एस.सी. कॉम्प्लेक्स, (टोडा पुर के सामने) डी.पी.एस मार्ग, नई दिल्ली 110012 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की 1 प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

संलग्नक: यथोपरी

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/पी.पी.वी.एवं.एफ.आर.ए/9-23/2017-18/

दिनांक: 17.11.17

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट -ए बी), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरी

- हस्ता -

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of the Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority (PPV&FRA) for the year ended 31 March 2017

We have audited the attached Balance Sheet of the Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority (PPV&FRA) as at 31st March 2017 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 62 (2) of the PPV&FRA Act, 2001. These financial statements include the accounts of 2 units/branches of the PPV&FRA. These financial statements are the responsibility of the PPV&FRA's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observation on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulation (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Report separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanation, except as stated in the report, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in uniform format of accounts as prescribed by the Government of India, Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the PPV&FRA as required under Section 62 (1) of PPV&FR Act 1962 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Liabilities

A.1.1 Current Liabilities & Provisions (Schedule 7) - Rs. 12.35 Crore.

The above does not include unspent grant-in-aid of Rs.95.40 lakh resulting in understatement of Current Liabilities & Provisions and overstatement of Capital Fund by Rs. 95.40 lakh.

B. Grant-in-aid

The authority received Plan grant-in-aid during 2016-17 to the tune of Rs.1975.00 lakh and had an opening balance of Rs.7.38 lakh. Out of the total funds of Rs. 1982.38 lakh it utilised Rs.1886.98 lakh leaving unspent balance of Rs.95.40 lakh under Plan.

C. Management letter: Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Chairman, Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:


a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority as at 31 March 2017; and

b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Place: New Delhi

Date: 17.11.17


Director General of Audit
Central Expenditure

Annexure

1. Adequacy of internal audit system

The Authority has no separate internal audit department due to shortage of regular staff in the Finance Section. Internal Audit up to the year 2014-15 has been done by the Chartered Accountant and not conducted since 2015-16.

2. Adequacy of internal control system

Internal control is weak in the following areas and needs strengthening

(i) Internal Audit has not been done since 2015-16.

(ii) Utilisation certificates are pending in respect of advances given by the Authority to DUS centre, training centres etc. The details of pendency of utilisation certificates as on 31st March 2017 is as under:-

Sl. No.	Subject	Outstanding Utilisation Certificates
1.	Advance/grant Released to Existing DUS	5,82,12,647
2.	Advance/Grant released to New DUS	1,77,59,580
3.	Field Gene Bank	19,15,352
4.	Training Centre	3,10,90,955
		10,89,78,534

3. System of physical verification of fixed assets

The physical verification of fixed assets for the year 2016-17 had been conducted and no loss has been reported.

4. System of physical verification of inventory

The physical verification of Stationery, Books and Consumables etc. had been conducted up to March 2016 and no material deficiency was reported.

5. Regularity in payment of statutory dues

No payment over six months in respect of statutory dues was outstanding as on 31.3.2017

ए.एम.जी-IV/एस.ए. आर/पी.पी.वी. & एफ. आर. ए. /9-23/2017-18/ 1406

ममता कुन्द्रा आई ए ए एस
Mamta Kundra, IA & AS



महानिदेशक लेखा परीक्षा
(केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली
भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
Director General of Audit
(Central Expenditure)
New Delhi
Indian Audit and Accounts Department

दिनांक: 17.11.17

प्रबंधन पत्र

प्रिय डॉ. बी. राजेन्द्र जी,

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली, के वर्ष 2016-17 के लेखों की लेखापरीक्षा कर ली गयी है और मेरे कार्यालय के पत्र संख्या अ. शा. प. स. /ए.एम.जी-IV/एस.ए. आर/पी.पी.वी. & एफ. आर. ए. /9-23/2017-18/ 1406 दिनांक: 17.11.17 द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी कर दिया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान कुछ अनियमितताएँ एवं कमियाँ ध्यान में आई हैं जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है। इन कमियों को संलग्न अनुबन्ध में दर्शाया गया है।

अतः इस पर आपकी ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा अनुरोध है की इन अनियमितताओं एवं कमियों पर उचित कार्यवाही की जाए।

सादर,

आपकी शुभेच्छु

डॉ. बी. राजेन्द्र,
अध्यक्ष,
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण,
एन. ए. एस. सी. कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली -110012.

Annexure to Management Letter

1. Receipts and Payments Account

There are differences in the figures of closing cash/bank balance between Receipts & Payments Accounts and those shown under Current Assets in the Balance Sheet. The Authority stated that the differences were due to sweep balances. However, from Receipts & Payments Account sweep balances as furnished by the Authority are not ascertainable. Receipts & Payments Accounts and the records pertaining to sweep should be so drawn that the closing cash/bank balance should tally with those shown under Current Assets in the Balance Sheet.

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को नई दिल्ली में
22 नवम्बर 2017 को आयोजित अट्ठाईसवीं बैठक में स्वीकृत किया गया।
(कार्यसूची मद संख्या 14)



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गाँव के सामने
नई दिल्ली-110012